"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 15, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ–05–21/ बजट/2012/14–2.— राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति निम्नानुसार निर्धारित करती है । यह अधिसूचना प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावशील होगा:–

1. **प्रस्तावना :**

हमारे देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 70% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। "भारत के प्राण ग्रामों में बसते है, देश की आत्मा कृषि में"। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 16.5 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। छ.ग. राज्य में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 13.35% है। कुल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में लगातार गिरावट निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या, विकसित हो रहे कल–कारखानें, शहरी क्षेत्र का विकास आदि का प्रभाव एवं दबाव कृषि भूमि पर लगातार बढ़ रहा है। दिनों दिन कृषि भूमि का क्षेत्र सिकुड़ता एवं सिमटता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ रही है... आगे और भी बढ़ेगी। राज्य में प्रति व्यक्ति 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है, यह उपलब्धता आगे और कम होगी।

राष्ट्र की कृषि के व्यवस्थित एवं सुदृढ़ विकास के लिये भारत सरकार ने सन् 1871 में स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना की। सन् 1871–1885 के मध्य प्रांतीय स्तर पर कृषि विभाग की स्थापना की गई। राष्ट्र में कृषि महाविद्यालय 1905 में पूणे तथा 1906 में कोयम्बटूर में स्थापित किये गये।

सन् 1926 में देश की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग को देश में" कृषि की उन्नति एवं ग्रामीणों में समृद्धि" विषय पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। सन् 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने विभिन्न बिन्दुओं पर सुझाव दिये। सुझाव सारांश में– कृषि अनुसंधान, फसलोत्पादन, पशुपालन, वन विकास, मछलीपालन, सहकारिता, ग्राम विकास, कृषि साख (वित्त), संचार व्यवस्था, कृषि बाजार व्यवस्था, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित थे।

आदिकाल से ही कृषि प्रदेश वासियों की जीवन पद्धति, परम्परा एवं संस्कृति रही है। कृषि से जुड़े तीज त्यौहारों को आज भी ग्रामवासी श्रद्धा पूर्वक मनाते है। कृषि में सबसे अधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता है। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है। "भविष्य की कृषि, हरित अर्थव्यवस्था एवं जैविक खेती पर निर्भर होगी।" अतः राज्य की कृषि एवं कृषि के सहायक व्यवसायों के विकास के लिये सुस्पष्ट नीति का होना आवश्यक है।

2. राज्य की अर्थव्यवस्था : प्राथमिक क्षेत्र एवं कृषि की भागीदारी –

राज्य की कृषि विकास दर में काफी उतार–चढ़ाव है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि की हिस्सेदारी निरन्तर घटते जा रही है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010–11 में प्रचलित भाव पर 13.35% की भागीदारी रही।

2.1 प्राथमिक क्षेत्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में हिस्साः

सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर हिस्सेदारी :

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र	कुल योग
1	2004–05	32.43	33.12	34.43	100%
2	2005–06	34.75	29.74	35.49	100%
3	2006–07	31.34	35.31	33.33	100%
4	2007–08	31.11	35.15	33.72	100%
5	2008–09	28.11	37.41	34.47	100%
6	2009–10	26.94	37.82	35.22	100%
7	2010–11	25.33	38.87	35.91	100%

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन,

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर हिस्सेदारी % में।

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र	कुल योग
1	2004--05	32.43	33.12	34.43	100%
2	2005--06	35.44	29.24	35.30	100%
3	2006--07	32.02	35.44	32.53	100%
4	2007--08	33.12	34.45	32.42	100%
5	2008--09	28.87	38.32	32.79	100%
6	2009–10	26.95	38.22	34.81	100%
7	2010–11	25.13	38.94	35.91	100%

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन,

2.2 सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन की भागीदारी:

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, हमेशा से कृषि राज्य की प्राथमिकता में रही है, आगे भी रहेगी। कृषि क्षेत्र की गिरती भागीदारी नीतिकारकों के लिये चिन्ता का विषय है।

कृषि (पशुपालन सहित) एवं मत्स्यपालन की सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव पर एवं स्थिर (2004–05) भाव पर भागीदारी:

क्र.	वर्ष	प्रचलित भाव पर कृषि (पशुपालन एवं मत्स्यपालन सहित)	स्थिर (2004–05) भाव पर
1	2004–05	15.84%	15.84%
2	2005–06	17.80%	18.01%
3	2006–07	15.50%	15.93%
4	2007–08	17.08%	16.26%
5	2008–09	16.86%	13.25%
6	2009–10	14.40%	13.06%
7	2010–11	13.35%	12.30%

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन,

उपरोक्त आंकड़ों से निम्न तथ्य दृष्टिगत होते हैं:–

2.2.1 कृषि क्षेत्र की भागीदारी में वर्ष प्रतिवर्ष में उतार–चढ़ाव है।

2.2.2 कृषि का विकास प्रतिवर्ष समान नहीं है।

2.2.3 कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित होने के फलस्वरूप किये गये प्रयासों का प्रतिफल अपेक्षा अनुरूप प्राप्त होता/नहीं होता है।

2.2.4 कृषि क्षेत्र को अक्षुण रखने के लिये वर्षा आधारित कृषि तकनीक के विकास की आवश्यकता है।

2.3 प्रचलित भावों पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि :

2.3.1 वर्ष 2009–10 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,09,82,343 लाख रू. था जिसमें 18.11% वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में 1,29,71,754 लाख रू. का अनुमान है। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन सम्मिलित में वृद्धि 2009–10 की तुलना वर्ष 2010–11 में 9.49% अनुमानित है।

2.3.2 प्रचलित भावों पर वर्षवार कृषि क्षेत्र की गतवर्ष की तुलना में वृद्धि % निम्नानुसार रही :

क.	वर्ष	कृषि (पशुपालन सहित)	मत्स्यपालन	कृषि (पशुपालन एवं मत्स्यपालन सम्मिलित रूप में)
1	2005–06 (वर्ष 2004–05 की तुलना में)	26.2%	14.02%	25.37%
2	2006–07 (वर्ष 2005–06 की तुलना में)	8.68%	21.25%	9.44%
3	2007–08 (वर्ष 2006–07 की तुलना में)	33.85%	3.70%	31.75%
4	2008–09 (वर्ष 2007–08 की तुलना में)	14.75%	15.66%	14.63%
5	2009–10 (वर्ष 2008–09 की तुलना में)	0.30%	6.52%	0.65%
6	2010–11 (वर्ष 2009–10 की तुलना में)	9.54%	8.60%	9.49%

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन,

3. नीति का दृष्टिकोण :

3.1 कृषि विकास के पंच तत्व :

3.1.1 भू–स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षित प्रबंधन एवं उपयोग के साथ जल एवं सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष बल।

3.1.2 कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में उन्नयन कर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।

3.1.3 समय पर कृषि आदान एवं ऋण की व्यवस्था।

3.1.4 कटायोत्तर प्रबंधन (PHM) के साथ समेकित खाद्य प्रसंस्करण का विकास।

3.1.5 तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण में प्रयोगशाला से खेत की खाई को कम करना।

4. कृषि विकास के कुल उत्पादकता कारक :

कृषि विकास में 12 विभाग एवं 6 संस्थाऐं संलग्न है। इन विभागों एवं संस्थाओं के आपसी समन्वय से ही कुल उत्पादकता कारक (Total Factor Productivity) को गतिशील किया जा सकता है।

कृषि अनुसंधान, कृषि विस्तार सेवाऐं, भूमि, जल, पोषक तत्व, जैव विविधता, सिंचाई, ऊर्जा, विपणन, सुदृढ़ अधोसंरचना आदि ही कुल उत्पादकता कारक (TFP) का मुख्य आधार है।

अतः कुल उत्पादकता कारक (TFP) का विकास ही कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। कृषक को केन्द्र में रखते हुए कृषि विकास को गतिशील बनाने के लिये Total Factor Productivity का कुशल प्रबंधन एवं इस पर निवेश का विस्तार इस नीति का मुख्य आधार है।

4.1 **समन्वय** : कृषि विकास में संलग्न समस्त विभाग में परस्पर सुदृढ़ समन्वय स्थापित कर निम्न लक्ष्य प्राप्त किया जावेगा।

4.1.1 प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय प्रबंधन।

4.1.2 कृषि अनुसंधान–विस्तार–कृषक–बाजार एवं आदान प्रबंधन की श्रृंखला को मजबूत बनाना।

4.1.3 कृषि में निवेश को आकर्षित करना।

4.1.4 कृषि उत्पादकता को प्रोत्साहन।

4.1.5 जोखिम प्रबंधन।

5. कृषि परिदृश्य एक सिंहावलोकन

5.1 छ.ग. राज्य की भू –उपयोग संबंधी कृषि सांख्यिकी :

क्र.	विवरण	क्षेत्र ('000' हे. में)
1	भौगोलिक क्षेत्र	13790.00
2	वन क्षेत्र	6336.00
3	कृषि के लिये अनुपलब्ध भूमि	712.75
4	पड़त भूमि को छोड़कर अन्य भूमि जिसमें काश्त नहीं की जाती	856.00
5	पड़त भूमि	528.00
6	निरा कास्त का क्षेत्र	4770.00
7	कुल कास्त का क्षेत्र	6401.00
8	खरीफ का क्षेत्र	4740.00
9	रबी का क्षेत्र	1661.00
10	दो फसली क्षेत्र	1631.00
11	निरा सिंचाई का क्षेत्र	1355.00
12	फसल सघनता	134.00

5.2 **कृषि जलवायु क्षेत्र** : राज्य की जलवायु में विविधता है, जिसके अनुसार राज्य को तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है।

- ❖ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र।
- ❖ छत्तीसगढ़ का मैदान।
- ❖ बस्तर का पठारः

इन कृषि जलवायु क्षेत्रों की जलवायु एवं मिट्टी के प्रकार में विविधता है। यद्यपि इन तीनों क्षेत्रों की मुख्य फसल धान है तथापि इन क्षेत्रों में व्याप्त विविधता का दोहन करते हुये अन्य फसलों को विकसित करने की अच्छी सम्भावना है। इन क्षेत्रों को आगे सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में विभाजित कर उसका दोहन कृषि विकास एवं कृषकों की समृद्धी के लिये किया जा सकता है।

कृषि जलवायु क्षेत्र	जिलें
उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र–	सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़।
छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र–	रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा।
बस्तर का पठार–	बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर।

5.2.1 **उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र** : इस क्षेत्र में आठ पाट का क्षेत्र है। यहां की जलवायु अन्य क्षेत्र से अलग है। इन पाटों का दोहन करने हेतु विषेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्र में दलहनी जैसे – अरहर एवं तिलहनी जैसे – सरसों, मूंगफली, रामतिल जैसी फसलों को बढ़ावा देना उचित होगा। अन्न वाली फसलों में धान के साथ–साथ मक्का फसल की भी अच्छी सम्भावना है।

5.2.2 **छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र** : इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

i. **वृष्टि छाया क्षेत्र** – रायपुर, दुर्ग बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिलों का कुछ हिस्सा एवं कवर्धा पूर्ण जिला।

ii. **मध्य क्षेत्र** – रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिलों का शेष हिस्सा, जांजगीर–चांपा एवं कोरबा।

iii. **ट्रॉस महानदी क्षेत्र** – महासमुंद, रायगढ़। (महानदी एवं बांगो का पूर्वी क्षेत्र)

5.2.3 **बस्तर का पठार** :

1. कांकेर क्षेत्र, 2. बस्तर उच्च भूमि, 3. गोदावरी कछार क्षेत्र (सुकमा, छिंदगढ़, कोंटा) 4. भोपालपटनम् क्षेत्र।

5.3 छ.ग. राज्य की सिंचाई संबंधी सांख्यिकी :

कमांक	विवरण	संख्या	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)
1	वृहद सिंचाई परियोजना	संख्या	592.00
2	मध्य सिंचाई परियोजना		185.00
3	लघु सिंचाई तालाब	36,818	269.00
4	लघुत्तम सिंचाई तालाब	1,076	202.00
5	नलकूप	90,674	
6	कूप	1,56,906	
7	विद्युत पम्पों की संख्या	2,09,917	

5.4 जोतवार एवं जातिवार कृषक संख्या (वर्ष– 2000–01) :

संख्या								
श्रेणी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	अन्य	%	योग	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीमांत	273427	8.00	441352	13.40	1031778	31.70	1746557	54.10
लघु	78666	2.40	254709	7.70	382856	11.70	716231	21.80
दीर्घ	53575	1.60	361132	10.90	377567	11.60	792274	24.10
योग	**405668**	**12**	**1057193**	**32**	**1792201**	**55**	**3255062**	**100**
रकबा (हे.)								
सीमांत	114570	2.20	209748	4.00	451865	8.70	776183	14.90
लघु	110179	2.10	364138	6.90	544143	10.40	1018460	19.40
दीर्घ	193403	3.70	1623078	31.10	1611899	30.90	3428380	65.70
योग	**418152**	**8**	**2196964**	**42**	**2607907**	**50**	**5223023**	**100**

स्त्रोतः– संचालक भू–अभिलेख, रायपुर

5.5 छत्तीसगढ़ राज्य की फसल सांख्यिकी :

खरीफ फसलों को क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2010 पूर्ति

क.	फसल का नाम	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा. / हे.)
1	2	3	4	5
1	धान (चॉवल)	3571.95	6159.21	1751
2	ज्वार	7.56	5.27	697
3	मक्का	179.90	324.65	1805
4	कोदो–कुटकी	64.01	23.42	366
	योग अनाज	**3823.42**	**6512.55**	**1703**
5	अरहर	140.03	85.74	612
6	मूंग	26.00	9.67	372
7	उड़द	177.77	73.51	414
8	कुल्थी	65.63	23.93	365
	योग दलहन	**409.43**	**192.85**	**471**
9	मूंगफली	55.05	79.09	1437
10	तिल	45.75	15.87	347
11	सोयाबीन	146.26	174.35	1192
12	रामतिल	107.75	28.00	260
13	सूरजमुखी	0.59	0.40	672
	योग तिलहन	**355.40**	**297.71**	**838**
14	सब्जी एवं अन्य	151.90	0.00	0
	महायोग	**4740.15**	**7003.11**	**1477**

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर

रबी फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2010–11 पूर्ति

क.	फसल का नाम	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा. / हे.)
1	2	3	4	5
1	गेहूँ	168.55	215.91	1281
2	मक्का	21.95	34.29	1562
3	ग्रीष्म धान (चॉवल)	170.67	640.52	3753
4	जौ, ज्वार, टाऊ	6.95	3.87	557
	योग अनाज	**368.12**	**894.59**	**2430**
5	चना	324.08	341.26	1053
6	मटर	47.83	25.30	529
7	मसूर	27.30	11.66	427
8	मूंग	24.00	7.94	331
9	उड़द	15.55	5.04	324
10	कुल्थी	26.78	9.86	368

11	तिवड़ा	380.24	231.19	608
12	अन्य दलहन	6.50	0.00	0
	योग दलहन	**852.28**	**632.24**	**742**
13	राई–सरसों	154.35	81.96	531
14	अलसी	81.54	33.35	409
15	कुसुम	6.88	2.07	301
16	सूरजमुखी	12.37	7.32	592
17	तिल	0.37	0.15	410
18	मूंगफली	16.00	24.14	1509
19	अन्य तिलहन	1.55	0.00	0
	योग तिलहन	**273.06**	**149.00**	**546**
	योग रबी	**1493.46**	**1675.83**	**1122**
20	गन्ना	17.87	53.61	3000
21	साग सब्जी	149.51	0.00	0
	महायोग रबी	**1660.84**	**1729.45**	**1041**

5.6 **कृषि ऋण व्यवस्था** : छ.ग. राज्य में कुल 6 सहकारी बैंक, 29 व्यवसायिक बैंक, 1333 सहकारी समितियॉ कार्यरत हैं। राज्य के कुल 14,40,000 कृषक सहकारी समितियों के सदस्य हैं। इन सदस्यों में से मात्र 9,09,000 कृषक ही सहकारी समितियों से नियमित लेन–देन करते हैं।

5.6.1 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों के सदस्यों की जानकारी वर्ष–2009–10

इकाई संख्या '000' में

क.	वर्ग	कुल सदस्य संख्या	ऋणी सदस्य संख्या
1.	अनुसूचित जाति	291	336
2.	अनुसूचित जनजाति	359	179
3.	अन्य	790	394
	योग	**1440**	**909**

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन,

सहकारी समितियों का कालातीत ऋण 292.23 करोड़ है।

5.6.2 राज्य में स्थापित बैंकों एवं सहकारी समितियों की जानकारी निम्नानुसार है:

क.	बैकों का नाम	बैंको की संख्या	बैंक शाखाओं की संख्या
1	व्यवसायिक बैंक	29	594
2	ग्रामीण बैंक	5	436
3	एस.सी.बी. / डी.सी.सी.बी.	6	198
4	एस.सी.ए.आर.डी.बी. / पी.सी.ए.आर.डी.बी.	12	83
5	शहरी सहकारी बैंक	2	8
	योग	**55**	**1319**

5.6.3 सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2009-10 में ऋण वितरण

राशि रू. करोड़ में

ऋण का प्रकार	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक			जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक		
	ऋण वितरण	ऋण बकाया	कालातीत ऋण	ऋण वितरण	ऋण बकाया	कालातीत ऋण
अल्पकालीन	1183.89	576.99	–	0.3	0.22	–
मध्यकालीन	671.88	469.99	–	–	–	–
दीर्घकालीन	–	–	–	13.31	162.44	–
	1855.77	1046.98	418.40	13.61	162.66	47.13

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन,

5.7 कृषि विकास हेतु उपलब्ध अधोसंरचना

क.	उपलब्ध अधोसंरचना	इकाई	विवरण
1.	वित्तीय संस्था	संख्या	1319
2.	सहकारी समितियॉ	—"—	1606
3.	मण्डी	—"—	74
4	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र	—"—	3
5	प्रयोगशाला		
	(अ) मिट्‌टी परीक्षण	—"—	9 (स्थाई–5, चलित–4)
	(ब) उर्वरक गुण नियंत्रण	—"—	1
	(स) बीज परीक्षण	—"—	1
	(द) पौध संरक्षण गुण नियंत्रण	—"—	1
	(इ) नाशी –जीव उत्पादन केन्द्र	—"—	1 (स्थापित की जा रही है)
	(ई) टिश्युकल्चर प्रयोगशाला	—"—	1 (स्थापित की जा रही है)
6.	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र	—"—	26
7.	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र	—"—	1
8.	अन्य प्रशिक्षण केन्द्र		
	(अ) फल परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	—"—	1
	(ब) माली प्रशिक्षण केन्द्र	—"—	1
9.	विस्तार कार्य		
	(अ) अनुविभागीय कार्यालय	संख्या	45
	(ब) विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय	—"—	146
	(स) जिला स्तरीय कार्यालय	—"—	27
10.	भूमि संरक्षण उप– संभाग	—"—	25

11.	उद्यान विभाग		
	(अ) नर्सरी	—"—	106
	(ब) प्रक्षेत्र	—"—	1
	(स) जिला स्तरीय कार्यालय	—"—	16
	(द) नर्सरी स्तरीय कार्यालय	—"—	106
12.	कृषि अभियांत्रिकी		
13.	(अ) कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय	—"—	7
	(ब) कृषि यंत्री कार्यालय	—"—	3
	(स) वर्कशॉप	—"—	3
14.	निजी क्षेत्र में कृषि आदान विक्रेता		4300 (सहकारी–1606, निजी–2694)
	(अ) उर्वरक		5166
	(ब) बीज		793
	(स) पौध सरंक्षण		3993
	(द) कृषि यंत्र		380
15.	निजी क्षेत्र में उपलब्ध प्रयोगशाला		
	(अ) टिश्युकल्चर	—"—	2
16.	बायोफर्टिलाईजर उत्पादन केन्द्र	—"—	1
17.	बायो पेस्टीसाईड उत्पादन कम्पनी	—"—	2
18.	कृषि शिक्षा		
	1. कृषि विश्वविद्यालय	संख्या	1
	2. कृषि एवं अन्य महाविद्यालय, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी		24
	3. कृषि अनुसंधान केन्द्र	—"—	12
	4. कामधेनू विश्वविद्यालय	—"—	1
	5. पशु चिकित्सा महाविद्यालय	—"—	1
	6. डेयरी टेक्नालॉजी महाविद्यालय	—"—	1
	7. मत्स्यकीय महाविद्यालय	—"—	1
	8. पशु अनुसंधान केन्द्र	—"—	1
	9. कृषि विज्ञान केन्द्र	—"—	20
19.	बीज एवं कृषि विकास निगम	—"—	1
20.	बीज प्रकिया केन्द्र	—"—	26

21.	बीज गोदाम	—"—	81
22.	बीज प्रमाणीकरण संस्था	—"—	1
23.	मृदा सर्वेक्षण कार्यालय	—"—	1

6. **कृषि विकास में परिस्थिति जन्य प्रमुख सीमाऐं** : कृषि विकास में सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अधोसंरचनागत परिस्थिति जन्य सीमाएं है। ये सीमाएं प्रमुख रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में असंतुलन, कृषि जोतों का बिखराव, लघु सीमांत कृषकों की बहुलता, असंगठित कृषि क्षेत्र, कृषि विकास में क्षेत्रीय संतुलन, कृषकों की आर्थिक दशा, अपर्याप्त सुनिश्चित सिंचाई, अपर्याप्त भण्डारण सुविधा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कमजोर विकास, मौसम की अनिश्चितता, विविध परिस्थितियों के लिये अपर्याप्त उपयुक्त समन्वित कृषि मॉडल का होना, कृषि एवं भूमि संबंधी अधिनियमों में विसंगतियां आदि है।

7. **कृषि नीति की आवश्यकता क्यों ?**

कृषि क्षेत्र में व्याप्त अस्थिरता एवं अनिश्चितता को कम करने, कृषि व्यवसाय को नवयुवको के लिये रूचिकर एवं लाभकारी बनाने एवं कृषि राज्य के विकास को कृषक केन्द्रित बनाने के लिये कृषि नीति की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र में विकसित की गई नवीन प्रौद्योगिकी किसानों तक चरणबद्ध तरीके से पहुँचाने की आवश्यकता है। राज्य की कृषि विस्तार सेवाऐं किसान केन्द्रित एवं बाजार की मांग के अनुरूप न होने के फलस्वरूप कम प्रभावशील है।

कृषि एवं भूमि से संबंधित अधिनियमों जैसे भू–राजस्व संहिता एवं मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम–1960 आदि में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एवं किसान्नोंमुखी बनाने हेतु समीक्षा की आवश्यकता है। जिससे कि अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कारण भी कृषि नीति की आवश्यकता को रेखांकित करते है।

7.1 **कृषि क्षेत्र में घटती वृद्धि दर एवं कृषि का असंतुलित विकास** : वर्ष 2005–06 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 25.37% थी जो घटकर वर्ष 2010–11 में 9.94% हो गयी है। वर्ष 1980 से आज तक की कृषि सांख्यिकी के आंकड़े चौंकाने वाले तथ्य उजागर करते हैं जिन क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है उन क्षेत्रों में धान के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। दलहन–तिलहन एवं अन्य फसलों के क्षेत्र में कमी आई है। यद्यपि छ.ग. राज्य अनाज के क्षेत्र में (केवल चॉवल) में आत्मनिर्भर है किन्तु दलहन, तिलहन, शक्कर एवं उद्यानिकी फसलों के लिये अन्य राज्यों पर आश्रित है। राज्य में संतुलित कृषि के विकास की महती आवश्यकता है। इसी प्रकार कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन भी एक गंभीर चुनौती है।

7.2 **जनसंख्या वृद्धि** : छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर 18.06% दस वर्षीय हैं, तथा कृषि विकास दर उसके अनुरूप न होने से आने वाले समय में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि होगी, अतः कृषि वृद्धि दर में गति लाने हेतु दीर्घ कालीन नीति की आवश्यकता है।

7.3 **लघु– सीमान्त कृषकों की बहुलता एवं कृषि क्षेत्र से पलायन** : लघु सीमान्त कृषकों की राज्य में बहुलता है, 75% कृषक इस श्रेणी के अन्तर्गत आते है जिसके पास कुल जोत रकबे का 29% रकबा है। इन कृषकों को प्रतिकूल मूल्य व्यवस्था एवं निम्न मूल्य संवर्धन के कारण उत्पादन का पूरा–पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। भूमण्डलीयकरण से कृषि व्यवसाय को जोड़ने से कृषि की हालत और नाजुक एवं उग्र होगी। अतः तत्काल उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है।

भूमि के बंटवारे से जोत का आकार छोटा एवं अलाभकारी हो गया है। कृषक के पास जो भूमि उपलब्ध है वह भी कई टुकड़ों में विभक्त है। भूमि की जोत टुकड़ो में होने से विकास के लिये अधिक पूँजी व्यय करनी होती है। सीमान्त कृषक को अपनी भूमि से वार्षिक आय कृषि मजदूर से कम प्राप्त हो रही है। जिसके फलस्वरूप कृषक कृषि छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं।

7.4 **कृषि भूमि का अन्य कार्यो में व्यपवर्तन करना** : कृषि के लिये उपलब्ध भूमि को अन्य कार्यो के उपयोग हेतु परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य में कृषि कास्त का प्रति व्यक्ति रकबा 0.3 हेक्टेयर उपलब्ध है, आने वाले समय में यह और भी कम होगा। एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि अन्य कार्यो के लिये व्यपवर्तित हो रही हैं। जनसंख्या में वृद्धि, घटती हुई कृषि भूमि एवं कृषि उत्पादन में अस्थिरता खाद्यान्न सुरक्षा के लिए एक गम्भीर चुनौती है।

7.5 **जोखिम** : राज्य की लगभग 72% कृषि वर्षा आधारित है। मानसून अच्छा होने पर उत्पादन संतोषजनक प्राप्त हो जाता है अन्यथा कृषक ऋण ग्रस्त हो जाते है। वर्षा के आकड़ों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्षो के समूह में दो वर्ष अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि से प्रभावित होते है। शेष वर्षो में वर्षा के असंतुलित वितरण से प्रदेश की कृषि प्रभावित होती है।

7.6 **राज्य में उपलब्ध जैव विविधता** : प्रकृति ने राज्य को जैव विविधता का प्रसाद दिया है। इस विविधता का दोहन कृषि विकास के क्षेत्र में सीमित रूप से हो रहा है। जैव विविधता का उपयोग कृषि हेतु करने के लिये स्पष्ट नीति का होना आवश्यक है।

7.7 **कृषि संसाधनों का कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु दक्ष उपयोग** : प्रदेश में उपलब्ध कृषि संसाधन (भूमि, जल, श्रम, जैव विविधता, कृषि अनुसंधान की अनुषंसाओं का उपयोग) कृषि विकास को तीव्रतर गति देने हेतु करने की आवश्यकता है। राज्य की विभिन्न फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता से कम है। खाद्यान्न सुरक्षा हेतु कृषि संसाधनों का दक्ष उपयोग करना होगा। कृषि की अदोहित क्षमता का उपयोग करने, ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ कर कृषि विकास को गति देने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने, किसानों व कृषि मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने एवं राज्य की खाद्यान्न सुरक्षा हेतु कृषि नीति की आवश्यकता है।

8. **कृषि नीति के उद्देश्य** : छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिये समस्त संसाधनों, पणधारियों, सम्पूर्ण कृषि कियाकलापों का व्यापक आधार विकसित करना जो कि:–

8.1 कृषकों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण युवा बेरोजगारों के प्रति उत्तरदायी, प्रभावी एवं टिकाऊ हो।

8.2 कृषि विस्तार पद्धति, नवीन कृषि उत्पादन तकनीक के प्रसार के साथ–साथ मांग चलित, कृषक केन्द्रित, ग्रामीण रोजगारोन्मुखी, लिंग समानता पर आधारित हो।

8.3 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिकीय भंगुरता के जोखिम को कम करने की क्षमता रखती हो।

8.4 वर्षा आधारित कृषि के जोखिम को कम करती हो।

8.5 उत्पादन तथा उत्पादकता के उन्नयन के द्वारा आर्थिक लाभ के चरम स्तर को पाया जा सके एवं खाद्य सुरक्षा की क्षमता विकसित कर सके।

8.6 कृषि क्षेत्र में औसत प्रतिवर्ष 4% से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना।

8.7 प्राकृतिक संसाधन जैसे – मृदा, जल, जैव विविधता का संरक्षण करते हुए कुषल उपयोग करना।

8.8 कृषि क्षेत्र में ऐसे विकास को बढ़ावा देना जिसका लाभ अंतिम छोर के किसान तक पहुँच सके।

8.9 ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को रोकने के लिये उपयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी विकसित करना तथा कृषकों को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करना।

8.10 खाद्यान्न एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना।

8.11 आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापीकरण से उत्पन्न चुनौतियों से प्रतिस्पर्धा करते हुये बाजार की मांग के अनुसार कृषि उत्पाद में वृद्धि करना।

8.12 कृषि षिक्षा एवं कृषि अनुसंधान को कृषकों के मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप दिषा देना।

8.13 पर्यावरणीय एवं वित्तीय चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करना।

8.14 कृषक, भूमि, कृषि आदान, कृषि एवं भूमि से संबंधित समस्त अधिनियम, नियम एवं परिनियमों की समीक्षा कर उन्हें युक्ति संगत बनाने हेतु कदम उठाना।

8.15 कृषक प्रक्षेत्रों पर कृषि संसाधनों को विकसित करना।

8.16 कृषि आधारित उद्योगों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करना।

8.17 कृषि भूमि का अकृषि कार्यो में हो रहे व्यपर्तन पर नियंत्रण करना।

8.18 कृषि आदान की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

8.19 कृषि जोत (विशेषकर 2 हेक्टेयर से कम) का चकबन्दी को बढ़ावा देना।

8.20 जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु चयनित एवं सीमित क्षेत्र हेतु रणनीति तैयार करना।

8.21 कृषि उत्पाद के विपणन की मजबूत व्यवस्था करना।

8.22 कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।

8.23 कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ कर पुर्नस्थापित करना।

9. कृषि नीति :

9.1 **कृषि, कृषक एवं भूमि की परिभाषा का पुनरावलोकन** : छत्तीसगढ़ राज्य भू राजस्व संहिता की धारा–2 (ख), (ड.) एवं (ट) के अंतर्गत क्रमशः कृषि, कृषक एवं भूमि को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

धारा–2 (ख) **"कृषि" के अंतर्गत है–**

(एक) वार्षिक या नियतकालिक फसलों का, जिनमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है, ऊगाया जाना;

(दो) उद्यान, कृषि;

(तीन) फलोद्यान लगाना तथा उनका समारक्षण और;

(चार) चारे, चराई या छप्पर छाने के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना;

धारा–2 (ड.) **"वास्तविक कृषक"** के अंतर्गत है–

"वास्तविक कृषक" से अभिप्राय है कोई ऐसा व्यक्ति हो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा;

उपरोक्त परिभाषाओं को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। अतः कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, रेशम कीट पालन, औषधी फसल, पुष्प एवं बीज प्रसंस्करण व संसाधन को सम्मिलित किया जावे। इसी प्रकार कृषक के अंतर्गत भूमिहीन, बंटाईदार, पट्टाधारक, वनभूमि धारक, मत्स्यपालक, पशुपालक, मुर्गीपालक, रेशम कीट पालक, बीज उत्पादन जैसे कार्यो में संलग्न व्यक्तियों को वास्तविक कृषक की परिभाषा के अंतर्गत लाये जाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।

धारा–2 (ट) **"भूमि"** के अंतर्गत है–

"भूमि" से अभिप्रेत है धरती की सतह का कोई भाग चाहे वह जल के नीचे हो न हो; और जहां भी इस संहिता में भूमि के प्रति निर्देश किया गया है, वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीजें हैं जो ऐसी भूमि से बद्ध हैं या ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है।

9.2 **नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षित प्रबंधन एवं उपयोग :** कृषि के दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी रूप से ठोस, आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक न हो इसका ध्यान रखा जावेगा। नैसर्गिक संसाधन जैसे – भूमि, जल, एवं अनुवांषिक संपदा के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जावेगा। उपजाऊ कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन में अंधा–धुंध व्यपवर्तन पर नियंत्रण पाने हेतु दीर्घ कालीन रणनीति तैयार की जावेगी। बहु फसलीय क्षेत्र एवं अन्तवर्तीय फसल पद्धति को बढ़ावा दिया जावेगा। फसल सघनता बढ़ाने हेतु विशेष बल दिया जावेगा।

लगातार उर्वरकों के असंतुलित उपयोग होने के कारण राज्य की कृषि भूमि/मृदा पर दुष्परिणाम दिखाई दे रहे है। मृदा की उर्वरा शक्ति में सुधार करना तथा उसे स्थायी बनाये रखना

जरूरी है। इस हेतु जैव उर्वरक एवं जैविक खाद को बढ़ावा देने हेतु दीर्घ कालीन कार्ययोजना तैयार की जावेगी। राज्य में लगभग 70% क्षेत्र में धान की कास्त बंधान बनाकर की जाती है। किन्तु शेष क्षेत्रों में मृदा क्षरण की व्यापक समस्या है इन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। वर्षा आधारित क्षेत्र की उत्पादकता स्थायी रूप से बढ़ाने हेतु जलग्रहण विकास की तर्ज पर कार्य किया जावेगा। वर्षा जल का संरक्षण कर उसका उपयोग फसलोत्पादन में किया जावेगा।

9.2.1 भूमि :

9.2.1.1 कृषि भूमि का विकास :

अ. **भू–संरक्षण** : सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र की कृषि भूमि के विकास की अलग–अलग रणनीति तैयार की जावेगी। कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु ऐसे समस्त कदम उठाये जावेंगे जिससे की भूमि की उत्पादकता बढ़े। बिगड़ी भूमि (Degraded Land) को विकसित कर कृषि योग्य बनाया जावेगा। अंसिचित क्षेत्र के विकास हेतु जलग्रहण विकास की तर्ज पर कार्ययोजना तैयार की जावेगी। स्वस्थाने एवं ब्राह्य स्थाने भू–संरक्षण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जावेगा। भूमि एवं जल संरक्षण की उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने भूमि एवं प्रक्षेत्र विकास हेतु महात्मा गांधी नरेगा में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जावेगा।

Severity of soil erosion in various districts of Chhattisgarh*

S. No.	Erosion class	Soil loss (tonnes per ha per year)	Area in ha (%)	Name of the districts
1	Moderately severe	15-20	1365459 (10.1)	Mahasamund, Bilaspur
2	Severe	20-40	2392933 (17.7)	Durg, Rajnandgaon
3	Very severe	40-80	1419534 (10.5)	Bastar, Raipur, Bilaspur, Raigarh, Sarguja
4	Extremely severe	>80	1554730 (11.5)	Bastar, Mahasamund, Koriya, Jashpur

*Source : State Focus Paper 2008-09, NABARD, Raipur, C.G.

ब. **भू–उपयोग** : राज्य का निरा फसल का रकबा 47.69 लाख हेक्टेयर है एवं बहुफसलीय क्षेत्र का विस्तार तथा दो फसलीय क्षेत्र 17.83 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार लगभग 29.86 लाख हेक्टेयर भूमि रबी मौसम में पड़त रहती है। रबी पड़त को कम करने एवं फसल सघनता को बढ़ाने हेतु विशेष व्यूह रचना बनायी जावेगी। भूमि एवं जल प्रबंधन के द्वारा दो फसलीय एवं बहुफसलीय क्षेत्र का विस्तार किया जावेगा। ग्राम स्तर पर इससे रोजगार बढ़ेंगे व ग्राम खाद्य सुरक्षा में स्वावलम्बी व कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

9.2.1.2 भू–स्वास्थ्य : अम्लीय, क्षारीय, ऊसर एवं अन्य कारणों से बीमार भूमि के उपचार हेतु कार्ययोजना तैयार की जावेगी। इन भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उचित कदम उठाये जावेंगे। जिन कृषि भूमि की जलधारण क्षमता कम है उनकी जलधारण क्षमता बढ़ाने हेतु उपयुक्त प्रौद्यौगिकी का उपयोग करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जावेगा। दल–दली भूमि के विकास हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया जावेगा। भू–स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखने हेतु **पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप मॉडल पर मिट्‌टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जावेगी। कृषकों को भू–स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खार से मिट्‌टी नमूने एकत्र कर जांच कराकर यथोचित सुधार हेतु कृषकों को संस्तुती दी जावेगी।** भू–स्वास्थ्य को टिकाऊ बनाये रखने हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.2.1.3 चारागाह विकास :– राज्य में वर्ष 2001 की पशु संगणना के अनुसार 2 करोड़ से अधिक पशुधन है। राज्य में खुले मवेशियों की समस्या के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उपयुक्त चारागाह न होने से पशु स्वास्थ्य भी कमजोर है। पशुधन के स्वास्थ्य सुधार हेतु एवं कृषि फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पंचांयतों के माध्यम से चारागाह का विकास किया जावेगा। पंचायतों को इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी जावेगी।

9.2.1.4 भू–चकबंदी : राज्य में सीमान्त एवं लघु कृषकों की बहुलता है। इन कृषकों की जोत का आकार न केवल छोटा है बल्कि यह जोत कई छोटे–छोटे टुकड़ों में बॅटा है। जोत के छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण लघु सीमान्त कृषकों के लिये इसका विकास आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। राज्य शासन ने चकबंदी को बढ़ावा देने हेतु Stamp Duty से मुक्त किया है। स्वस्फूर चकबंदी को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.2.1.5 कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन में नियंत्रण : जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण अधोसंरचना विकास का प्रभाव, कृषि भूमि पर दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर नगर एवं ग्राम की जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, इसका सबसे अधिक दबाव कृषि भूमि पर पड़ रहा है। बढ़ती

जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है, खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति हेतु कृषि भूमि के व्यपवर्तन को रोका जाना आवश्यक है। गैर कृषि कार्य हेतु कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि के ही व्यपवर्तन को प्राथमिकता दी जावेगी। अत्यंत आवश्यक होने एवं औचित्य स्थापित होने पर न्यूनतम रकबे के व्यपवर्तन की अनुमति सक्षम स्तर द्वारा दी जा सकेगी तथापि सिंचित बहु–फसलीय एवं उपजाऊ भूमि के व्यपवर्तन का परिहार किया जावेगा।

9.2.1.6 **लैण्ड यूज बोर्ड (Land Use Board)** :– लैण्ड यूज बोर्ड का राज्य में गठन किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी है। यह बोर्ड राज्य स्तर पर गठित है। किन्तु जिला स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बोर्ड के गठन की अनुशंसा की जाती है। यह बोर्ड कृषि भूमि के उपयोग एवं अन्य कार्यो में हो रहे व्यपवर्तन के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। बोर्ड को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाया जावेगा। इस हेतु विभिन्न अधिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जावेगा।

9.2.1.7 **कृषि भूमि विकास के प्रकाश में अधिनियमों की समीक्षा** : राज्य में लगभग 75% कृषक सीमान्त एवं लघु श्रेणी के है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जोत का आकार घटता जा रहा है। सीमान्त एवं लघु कृषक जोत के विभाजन के कारण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आ रहे है, मध्यम वर्ग के कृषक लघु एवं सीमांत कृषकों की श्रेणी में तथा बड़े कृषक मध्यम श्रेणी में परिवर्तित हो रहे है। जोत का आकार आगामी वर्षो में लाभकारी नहीं रहेगा। जोत का घटता आकार कृषि के लिये चिंता का विषय है।

आजादी के समय जमींदारों के पास बड़ी–बड़ी जोतें थी तथा सम्पूर्ण रकबे पर खेती नहीं कर पाते थें, बहुधा कुछ हिस्सा खरीफ/रबी में पड़ती पड़ा रहता था। कृषि हेतु भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका इष्टतम उपयोग आवश्यक है। इसके उपयोग एवं विकास में प्रचलित अधिनियम यथा भू–राजस्व संहिता, मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम–1960 बाधक है। वर्तमान परिदृश्य में इन अधिनियमों के प्रासंगिकता की समीक्षा की आवश्यकता है। इस नीति के अंतर्गत भू–राजस्व संहिता एवं मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम–1960 की समीक्षा करने की अनुशंसा की जाती है।

9.2.2 **जल सरक्षण** : छत्तीसगढ़ राज्य पर नैसर्ग की अति कृपा है। इस राज्य की औसत वर्षा 1300 मि.मी. है। किन्तु वर्षा का वितरण समान रूप से नहीं होने के कारण इसका लाभ अंसिचित क्षेत्र के कृषकों को प्राप्त नहीं होता। असिंचित क्षेत्र की फसलें बहुधा अवर्षा अथवा अतिवर्षा से प्रभावित होती रहती है। रबी मौसम में वर्षा कभी–कभी प्राप्त होती है किन्तु यह सुनिश्चित नहीं होती। फलस्वरूप असिंचित क्षेत्र का रबी का रकबा मॉनसून की विलम्बित वर्षा पर निर्भर करता है। अतः जल संसाधन का न्याय संगत उपयोग एवं उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जायेगा। सतही और भू–जल के संयुक्त उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी। सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग (Optimum Utilization) के लिये उचित प्रबंधन किया जावेगा। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपलब्ध जल का कुशल उपयोग करने हेतु

टपंक सिंचाई प्रणाली, फव्हारा सिंचाई प्रणाली अथवा अन्य विकसित विधियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा। स्व-स्थाने नमी को संचित करने के लिये मलचिंग की नवीन तकनीक विकसित की जावेगी। कृषि में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जावेगा। कृषकों को खेतों में जल संग्रहण करने हेतु फार्म पॉन्ड तकनीकी (डबरी) के उपयोग को बढ़ावा दिया जावेगा। पॉन्ड (डबरी) में संग्रहित जल का उपयोग फसल के संक्रमण काल में करने हेतु कृषकों का प्रशिक्षित किया जावेगा।

संरक्षित खेती (Conservation Farming) को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.2.2.1 **सिंचाई जल का उपयोग** : सिंचाई जल पर्याप्त मात्रा में सही समय पर कमांड क्षेत्र में उपलब्ध कराया जावेगा। सिंचाई जल उपलब्ध कराने में सिंचाई पंचायत की भूमिका सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यकता अनुसार सिंचाई पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया जावेगा। सिंचाई परियोजना की सृजित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के मध्य अंतर को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

इकाई : लाख हे. में

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2007–08 में वास्तविक सिंचाई
1.	वृहद परियोजना	9.09	6.78
2.	मध्यम परियोजना	2.58	2.10
3.	लघु परियोजना	5.82	2.95
	योग	**17.49**	**11.79**

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2009–10, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छ.ग. शासन

नवीन सिंचाई क्षमता विकसित करने हेतु रणनीति तैयार की जावेगी। छोटी नदियों एवं जिन्दा नालों को चिन्हित कर उन पर अस्थायी मिट्टी के बांध महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बनाने हेतु कदम उठाये जावेंगे।

सिंचाई जल के अपव्यय को कम करने हेतु खेतों में सिंचाई नालियों (Field Channel) के निर्माण की कार्ययोजना तैयार की जावेगी। **कृषकों में जल के न्यायोचित उपयोग के प्रति जन चेतना लाने हेतु सिंचाई पंचायत की सहभागिता से जल जागृति अभियान चलाया जावेगा।**

9.2.2.2 **वर्षा जल का संरक्षण एवं संग्रहण** : राज्य में लगभग 1300 मि.मी. औसत वर्षा होती है, जो कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से पर्याप्त है। किन्तु वर्षा जल का वितरण असंतुलित होने के फलस्वरूप इसका दक्ष उपयोग नहीं हो पाता। वर्षा आधारित क्षेत्र में वर्षा जल को संरक्षित रखने एवं उसके संग्रहण हेतु कार्य किया जावेगा। जीवित नदी–नालों में एनीकट का निर्माण किया जावेगा। कृषकों के खेतों में एवं सार्वजनिक भूमि में उपयुक्तता के अनुसार पानी संरक्षण एवं संग्रहण की संरचनाएं विकसित

की जावेगी। संग्रहित जल का उपयोग फसलों के पूरक सिंचाई हेतु किया जावेगा। वर्षा आधारित क्षेत्र में संरक्षित खेती (Conservation Farming) को बढ़ावा दिया जावेगा जिससे कि भू नमी का श्रेष्ठतम उपयोग फसल उत्पादन हेतु हो। आवश्यकतानुसार फसल परिवर्तन किया जावेगा।

9.2.2.3 **नदी–नालों के तट पर विद्युत लाईन विस्तार** : जिन्दा नदी–नालों को चिन्हांकन कर उनके किनारों में विद्युत लाईन विस्तार का कार्य किया जावेगा। इन नालों में उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित किया जावेगा।

9.2.2.4 **भू–जल संवर्धन एवं भू–जल स्त्रोतों का सुरक्षित उपयोग** : केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभावनाऐं है। प्रतिवेदन के अनुसार 35678 एम.सी.एम. भू–जल राज्य में उपलब्ध है। इसके विरूद्ध समस्त अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात् 20.40% भू–जल का उपयोग हो रहा है। तथापि कतिपय जिले एवं विकासखण्ड ऐसे भी है जिनमें भू–जल दोहन चरम सीमा को पार करने के फलस्वरूप "ग्रे" जोन के अंतर्गत आ गये है। अतः राज्य में भू–जल संवर्धन एवं दोहन को समान रूप से महत्व दिया जावेगा एवं भू–जल के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा दिया **जावेगा। भू–जल के उपयोग के साथ टपक एवं फुहारा सिंचाई को प्रोत्साहित किया जावेगा।**

9.3 **जैव विविधता (Bio-diversity)** : अनुवांषिक संसाधन (Genetic Resource) के सुरक्षित संरक्षण, सर्वे एवं मूल्यांकन के लिये फसलों की जंगली किस्मों की अनुवांषिक विविधता (Genetic Diversity) की ओर विशेष ध्यान दिया जावेगा। राज्य में Plant Variety Protection & Farmers' Right Act 2001 एवं Bio Diversity Act 2002 प्रभावशील है। PVPFR में कृषक की भूमिका यथा कृषक, संरक्षक, प्रजनक के रूप में है। कृषक की भूमिका को सुरक्षित रखने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की जावेगी।

अनुवांषिक संसाधन (Genetic Resource) को नष्ट/समाप्त होने से बचाने के लिये विभिन्न फसलों के स्थानीय प्रजातियों, किस्मों को स्व–स्थाने अथवा बाह्य स्थाने प्रक्षेत्रों पर तथा कृषकों के खेतों में संरक्षित रखने की आवश्यकता है। **इस उद्देश्य पूर्ति के लिये कृषकों की भागीदारी से जीन सेंक्चुअरी (Gene Sanctuary) एवं जैव पार्क, Bioshephere Reserve की स्थापना की जायेगी।** मध्यम अवधि हेतु अनुवांशिक संसाधन का भण्डारण कर तथा जीन बैंक बनाकर जैव विवधिता का संरक्षण किया जावेगा, इस हेतु कृषि विश्वविद्यालय में लम्बी अवधि का प्रोजेक्ट बनाकर कार्य किया जावेगा।

राज्य में उपलब्ध जैव विविधता के संरक्षण हेतु ग्रामीणों को स्वस्थाने अपने प्रक्षेत्रों पर संरक्षित रखने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। प्रजनक एवं कृषक की सहभागिता से स्थानीय किस्मों से नवीन बहुगुणी किस्मों जो सूखे के लिये सहनशील हो, जिनकी जल की आवश्यकता कम हो कीट एवं बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक हो, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो, अधिक उपज देती हो का विकास किया जावेगा।

इसी प्रकार वनस्पति के अतिरिक्त अन्य जीवों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं पर भी शोध कार्य प्रारंभ किया जावेगा। इस हेतु स्वतंत्र रणनीति तैयार की जावेगी।

9.4 **कृषि आदान** : कृषि क्षेत्र की उत्पादकता उन्नयन में कृषि आदान की भूमिका निर्विवाद है। कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता कृषि उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य शासन इसके लिये विशेष कार्ययोजना बनावेगी। प्रत्येक जिलें में कृषि आदानों की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावेगी।

9.4.1 **बीज** : उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की मांग निरंतर बढ़ रही है। **बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने हेतु राज्य का पंचवर्षीय बीज रोलिंग प्लान तैयार किया जावेगा।** रोलिंग प्लान की प्रत्येक खरीफ एवं रबी मौसम के पूर्व समीक्षा की जावेगी तथा उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जावेगा। राज्य की "बीज प्रगुणन अनुपात (SMR)" अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसे बढ़ाने हेतु सघन प्रयास किये जावेंगे। उत्पादक कृषकों को प्रशिक्षित किया जावेगा।

विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में संकर किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीज उत्पादक कृषकों को संकर किस्मों के बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी से साक्षर करने की आवश्यकता है इस हेतु चयनित बीज उत्पादक कृषकों को संकर बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने की अनुशंसा की जाती है। **संकर बीज उत्पादन के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु बेरोजगार कृषि स्नातकों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।** इन्हे संविदा (Contract) के रूप में निश्चित क्षेत्र हेतु रखा जा सकता है। इससे संकर बीज की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सकती है।

बीज की मांग एवं उत्पादन के अनुरूप अधोसंरचना को सुदृढ़ करना होगा। बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र, बीज प्रकिया केन्द्र, बीज संग्रहण गोदाम आदि की क्षमता बढ़ायी जावेगी। बीज उत्पादन पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप (PPP) का बहुत अच्छा उदाहरण है इसे और मजबूत करने एवं और अधिक कृषकों को बीज उत्पादन में (विशेषकर दलहन एवं तिलहन बीज उत्पादन) जोड़ने की आवश्यकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल राज्य को बीज उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

9.4.1.1 **बीज उत्पादन में सहकारी एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन** : प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण हेतु सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी एवं सहकारी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जावेगा। **राज्य में संकर किस्मों के बीज उत्पादन की अच्छी संभावना को देखते हुए राज्य को संकर बीज उत्पादन हब के रूप में विकसित किया जावेगा।**

9.4.1.2 **बीज उत्पादन में पंचायत की सहभागिता** : प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्य कृषकों द्वारा ही प्रायः किया जाता है। उत्पादित बीज को संसाधन हेतु प्रकिया केन्द्र लाया जाता है। संसाधन के पश्चात् पुनः कृषकों तक पहुँचाया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत लम्बी एवं जटिल है। इससे बीज के परिवहन एवं Handling पर खर्च बहुत अधिक आता है जिसके फलस्वरूप बीज के विकय मूल्य में बहुत वृद्धि होती है। बीज की विकय दरों को निर्धारित सीमा में रखने के लिये बड़े पैमाने में उत्पादक संस्थाओं के माध्यम बहुत बड़ी धन राशि से सहायता के रूप में व्यय की जाती है। इस व्यय को नियंत्रित करने एवं

बीज के विक्रय दरों को कृषक के पहुँच में रखने हेतु पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पंचायतों को कृषकों की मांग के अनुरूप प्रमाणित बीज उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जावेगा, इसको दिये जाने से निम्न फायदें होंगे: –

- ❖ बीज की गुणवत्ता में सुधार आवेगा।
- ❖ बीज संसाधन में होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।
- ❖ बीज परिवहन में होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।
- ❖ बीज की उपलब्धता, कृषकों को समय पर होगी।
- ❖ बीज की किस्मों में Mis-matching समस्या का निराकरण होगा। कृषकों की मांग के अनुसार ही बीज किस्म कृषकों को प्राप्त होगी।

9.4.1.3 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु **राज्य बीज ग्रिड की स्थापना की जावेगी।**

9.4.1.4 विभिन्न फसलों के संकर किस्मों के बीज उत्पादन हेतु पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप मॉडल एवं निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा।**यह व्यवस्था बीज उत्पादक कृषक, उत्पादक संस्था एवं कृषकों के लिये लाभदायक होगी।**

9.4.1.5 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों को बीजोत्पादन हेतु और अधिक सुदृढ़ व सक्षम बनाया जावेगा। इसके लिये रिव्हालव्हींग फण्ड की व्यवस्था की जावेगी। शासकीय प्रक्षेत्रों को नुकसान से बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

9.4.1.6 उद्यानकी पौध सामग्री एवं बीज : उद्यानिकी फसल उत्पादन में बीज के साथ–साथ पौध सामग्री महत्वपूर्ण आदान है। प्रायः पौध सामग्री की गुणवत्ता हर स्तर पर चिन्ता का विषय रहा हैं। मानक स्तर एवं मांग अनुसार पौध सामग्री प्राप्त न होने पर इसका सीधा असर कृषक की आर्थिक स्थिति पर पड़ता हैं। कृषक द्वारा किया गया व्यय एवं श्रम दोनों निरर्थक हो जाते है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। **पौध सामग्री की गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु राज्य में "रोपणी अधिनियम (Nursery Act)" अधिनियमित किया जावेगा।**

छ.ग. राज्य में उद्यानिकी विभाग की 106 नर्सरी एवं एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र है, इनको राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत सुदृढ़ किया जा रहा है। इन नर्सरियों का उपयोग बड़े पैमाने पर पौध सामग्री उत्पादन हेतु किये जाने की अनुशंसा की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) की मांग इन्ही नर्सरी से पूरी की जानी चाहिए जिससे कि कृषकों को सही एवं कम दर पर पौध सामग्री प्राप्त हो सके। आवश्यकतानुसार नर्सरियों को सुदृढ़ कर इसे उपयोगी बनाने हेतु कदम उठाये जावेंगे।

9.4.1.7 बीज प्रमाणीकरण : प्रमाणित बीज उत्पादन में बीज प्रमाणीकरण संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीज उत्पादन का निरीक्षण संस्था के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। राज्य में बीज उत्पादन कार्यक्रम में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः बीज उत्पादन क्षेत्र के आधार पर निरीक्षण के पुख्ता इंतजाम किये जावेंगे। **बीज परीक्षण प्रयोगशाला को सुदृढ़ किया जावेगा। आवश्यकतानुसार नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जावेगी।**

9.4.1.8 बीज गुण नियंत्रण : बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 को कड़ाई से लागू किया जावेगा। बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों से व्यापक संख्या में नमूने लिये जाकर जांच की व्यवस्था की जावेगी।

9.4.2 उर्वरक प्रबंधन :

9.4.2.1 जैविक खाद उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाया जावेगा : भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थायी एवं निरंतर बनाये रखने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाये जावेंगे। समेकित पोषण प्रबंधन (आई.एन.एम.) द्वारा आदर्श स्तर को प्राप्त किया जावेगा। जैव उर्वरक, उर्वरक एवं जैविक खादों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा। जैविक खाद की गुणवत्ता प्रायः संदेह के घेरे में रहती है, बाजार में इनके मूल्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, कृषक बहुधा जैविक खाद के नाम से ठगे जाते है। कृषकों को ऐसे धोखे से बचाने के लिये जैविक खाद का उत्पादन अपने खेतों पर करने हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा। जैविक खाद उत्पादन हेतु कृषकों को स्वावलम्बी बनाया जावेगा। केंचुआ खाद, नाडेप, हरी खाद उत्पादन को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.4.2.2 अनुदान की सरलीकृत प्रकिया : विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को खाद/उर्वरक/जैव उर्वरक कय करने हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठानों एवं निर्माता/विनिर्माताओं का चयन करने एवं कय मूल्य आपसी मोलभाव से निर्धारित करने के अधिकार दिये जावेंगे। कृषक को निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर पात्रता के अनुसार सहायता/अनुदान का लाभ बैंक खाते के माध्यम से दिया जावेगा। इसी प्रकार मृदा सुधार सामग्री एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में भी कृषकों को अधिकार सम्पन्न बनाया जावेगा। इन आदानों के लिए विशेष योजनाऐं तैयार की जावेगी जिससे कि बीमार मृदा को पुनः उपजाऊ बनायी जा सके।

9.4.2.3 उर्वरकों का समय पर भण्डारण वितरण: उर्वरकों का समय पर भण्डारण हेतु पर्याप्त पूंजी विपणन संघ को उपलब्ध कराई जावेगी। उर्वरकों के अग्रिम उठाव को बढ़ावा देने हेतु अप्रैल-मई माह में प्राथमिक सहकारी समितियों से कय किये गये उर्वरक पर माह जून से ही ब्याज लिया जावेगा।

9.4.2.4 उर्वरक गुण नियंत्रण : उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1983 को कड़ाई से लागू किया जावेगा। उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सहकारी एवं निजी क्षेत्रों से व्यापक संख्या में नमूने लिये जाकर जांच की व्यवस्था की जावेगी।

9.4.3. **पौध संरक्षण** : विकास की होड़ में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण असंतुलित हो गया है। कीटनाशी दवाओं के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ने वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान कर्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया है, इसी प्रकार आये दिन समाचार पत्रों एवं अन्य पत्रिकाओं में कीटनाशक दवाओं की गुणवत्ता एवं विषाक्त भोजन पर प्रकाशित लेखों ने नीतिकारकों को विचार करने हेतु विवश किया है। कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग जहां एक ओर फसलोत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है, वहीं दूसरी ओर इनका अविवेकपूर्ण उपयोग विभिन्न जटिल समस्याओं को भी आमंत्रित करती है। इसके अन्यायपूर्ण उपयोग से कृषक को आर्थिक क्षति भी होती है।

9.4.3.1 **पौध संरक्षण दवाईयों का न्यायसंगत एवं सुरक्षित उपयोग** : पौध संरक्षण दवाईयों के अंधाधुंध, अनुचित एवं अन्याय संगत (Unjudicial use) उपयोग को कम करने के उद्देश्य से "एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)" एवं कीटनाशकों के सुरक्षित प्रयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा तथा पर्यावरणीय मित्र कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.4.3.2 **अनुदान की सरलीकृत प्रकिया** : विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को पौध संरक्षण दवाई कय करने हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठानों एवं निर्माता/विनिर्माताओं का चयन करने एवं कय मूल्य आपसी मोलभाव से निर्धारित करने के अधिकार दिये जावेंगे। कृषक को निर्धारित प्रकिया के आधार पर पात्रता के अनुसार सहायता/अनुदान का लाभ बैंक खाते के माध्यम से दिया जावेगा।

9.4.3.3 **गुण नियंत्रण** : Insecticide Act 1968 एवं Rules 1971 का प्रभावशाली कियान्वयन किया जावेगा। जिससे कृषकों को उच्च गुणवत्ता सम्पन्न सामग्री उपलब्ध हो सके। रासायनिक कीटनाशक एवं जैव कीटनाशक की गुणवत्ता पर प्रायः चिन्ता व्यक्त की जाती है, इन पदार्थों के गुण नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु यथोचित कदम उठाये जावेंगे। **कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला को सुदृढ़ कर उसकी क्षमता का उन्नयन किया जावेगा।**

9.4.3.4 **बायो लैब की स्थापना** : बिलासपुर जिले में बायोलैब की स्थापना की गई है, इसे क्रियाशील किया जावेगा। इस प्रयोगशाला में परजीवी एवं परभक्षी कीटों एवं जीवाणुओं का उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराया जावेगा।

9.4.4 **कृषि यंत्र** : कृषि कार्य विभिन्न कारण से समय पर सम्पन्न नहीं होने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पारम्परिक यंत्रों एवं विधियों के उपयोग में श्रम एवं समय अधिक लगता है। श्रम एवं समय को बचाने के उद्देश्य से नवीन उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहित किया जावेगा। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु उन्नत यंत्रों, मशीनों एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विषेष ध्यान दिया जावेगा। ऐसे यंत्रों को चिन्हित किया जावेगा जिनका उत्पादन ग्राम स्तर पर संभव हो। **उन्नत कृषि यंत्रों की ग्राम स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम के लौहारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जावेगा।** इससे ग्रामीण लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि यंत्रों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय अनुदान/सहायता देनें की सरलीकृत प्रकिया निर्धारित की जावेगी। राज्य में कृषि यंत्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया जावेगा। कृषि सेवा केन्द्र एवं कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप तर्ज पर अथवा निजी क्षेत्र में की जावेगी।

ग्राम, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर हस्त चलित, बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु अनुकूल वातारण तैयार किया जावेगा। उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जावेगा। कृषि यंत्रों की गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखने हेतु कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु सुविधा विकसित की जावेगी। कृषि यंत्रों को VAT कर से मुक्त किया जावेगा। कृषि यांत्रिकीकरण को प्राथमिकता देते हुए "कृषि सेवा केन्द्र" की स्थापना हेतु विशेष योजना तैयार करने की पहल व [illegible] जावेगी।

विभिन्न परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन उन्नत कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जावेगी। कृषि में परिश्रम को कम करने हेतु विशेष प्रयास एवं अनुसंधान किये जावेंगे। भूमि विकास में लगने वाले कृषि यंत्रों को सूचीबद्ध कर उसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा। भूमि तैयारी से कटायोत्तर क्रियाओं में लगने वाले उन्नत कृषि यंत्रों के प्रचलन को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार किया जावेगा। कृषि यंत्रों के उपयोग हेतु कौशल विकास को महत्व दिया जावेगा। कृषि यंत्रों के रख–रखाव हेतु हर स्तर पर कर्मशाला स्थापित करने हेतु बेरोजगार युवाओं को आवश्यक सहायता देने हेतु कार्ययोजना तैयार की जावेगी।

9.4.5 कृषि ऋण एवं पूंजी निवेश – कृषि विकास की कुन्जी :

9.4.5.1 कृषि ऋण : कृषकों को कृषि ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की जावेगी। प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्य संख्या बढ़ाने हेतु अभियान चलाया जावेगा। कृषि ऋण की समय पर अदायगी को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विशेष सुविधा मुहैया करवाई जावेगी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में 75% कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जावेगा।

कृषक बैंकों से फसल ऋण लेने हेतु आकर्षित हुए है। राज्य में लगभग 35.00 लाख कृषक परिवार है, उनमें से 14.40 लाख (41%) कृषक ही सहकारी समितियों के सदस्य है तथा केवल 9.09 लाख (25.9%) कृषक ही सहकारी बैंक से नियमित लेन–देन कर रहे है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010–11, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय, छ.ग. शासन के अनुसार सहकारी समितियों का कालातीत ऋण राशि रू. 292.23 करोड़ है। इसी प्रकार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का कालातीत ऋण राशि रू. 418.40 करोड़ है। व्यवसायिक बैंकों का फसल ऋण में योगदान 5% है। इस पृष्ठ भूमि में कृषि ऋण कृषकों को सुलभ कराने हेतु नीतिगत निम्न पहल की जावेगी।

- ❖ नाबार्ड की स्थापना कृषि क्षेत्र की ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विशेष संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। यह संस्था वित्त विभाग के अधीन कार्य कर रही है जबकि कृषि संबंधी समस्त कार्य कृषि मंत्रालय के द्वारा किये जाते हैं। अतः नाबार्ड की समस्त नीतियां वित्त विभाग एवं व्यवसायिक बैंकों के मार्गदर्शन में बनायी जाती है। कृषि ऋण कृषकों की मांग के अनुरूप सुलभ कराने हेतु नाबार्ड को कृषि मंत्रालय के अधीन लाया जाना उपयुक्त होगा। इस हेतु भारत सरकार से पहल की जावेगी।
- ❖ समस्त बैंकों में कृषि ऋण की ब्याज दर में समानता लाने हेतु पहल की जावेगी। व्यवसायिक बैंक एवं नाबार्ड से इस विषय पर सम्पर्क किया जावेगा।

- ❖ व्यवसायिक बैंकों को वित्तीय संकट से मुक्त कराने हेतु "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" द्वारा सहायता दी जाती है, उसी तर्ज पर जिला सहकारी बैंकों को भी सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस विषय को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जावेगा।
- ❖ व्यवसायिक बैंकों की फसल ऋण में भागीदारी बढ़ाने हेतु सक्षम स्तर पर पहल कर उचित कदम उठाया जावेगा।
- ❖ प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्य संख्या बढ़ाने हेतु "कृषक सहकारिता अभियान" चलाया जावेगा।
- ❖ कृषि ऋण की समय पर अदायगी को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष सुविधा मुहैया करवाई जावेगी।
- ❖ आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु Joint Liability Groups (JLG) तैयार किये जावेंगे। इन समूहों को वरीयता के आधार पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु पहल की जावेगी।
- ❖ बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में 75% पात्र कृषकों को केडिटं कार्डधारी बनाने हेतु विशेष पहल की जावेगी।
- ❖ समितियों की अधोसंरचना (गोदाम) का विकास किया जावेगा। इस हेतु NCDC से पहल की जावेगी।
- ❖ कृषकों को पर्याप्त एवं समय पर ऋण सहायता देने हेतु एकल खिड़की पद्धति लागू करते हुए किसान केडिट कार्ड को ज्यादा व्यवहारिक बनाया जावेगा। कृषकों को स्मार्ट कार्ड सह डेबिट कार्ड जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पहल की जावेगी।
- ❖ जैविक खेती हेतु ऋण मुहैया कराने के लिये अलग ऋण सीमा निर्धारित की जावेगी।

9.4.5.2 **कृषि निवेश** : कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कम्पनी एक्ट–2002 में संशोधन कर उत्पादक कम्पनियों की स्थापना का रास्ता प्रशस्त किया है। इन कम्पनियों की स्थापना के लिये कार्ययोजना तैयार कर निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित किया जावेगा। इस हेतु Venture पूंजी की व्यवस्था एवं Capital पूंजी पर विशेष सहायता की कार्ययोजना तैयार की जावेगी। उत्पादक कम्पनियों में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी। निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बीज, कृषि उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कृषि सेवा केन्द्रों हेतु विशेष सुविधा दी जावेगी। कृषकों एव निजी प्रसंस्करण कम्पनियों के मध्य मजबूत कड़ी स्थापित की जावेगी। जिससे कृषकों, प्रसंस्करण संस्थाओं एवं उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो। कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षिक करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया जावेगा।

9.4.6 **कृषि हेतु ऊर्जा** : राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं राज्य शासन ने पम्प/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नीति तैयार की है। नई नीति के तहत प्रति पम्प हेतु लाईन विस्तार पर होने वाले कुल खर्च राशि रूपये 20,000/– से बढ़ाकर राशि रूपये 50,000/– किया गया है, ताकि अधिक से अधिक कृषक लाभान्वित हों और

किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े। राशि रू. 50,000/— की सीमा पर पुनर्विचार कर इसे ज्यादा किसान केन्द्रित करने पर विचार किया जावेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रॉन्सफार्मर उन्नयन एवं लाईन विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी जावेगी। कृषि हेतु नियमित एवं निर्विघ्न (Uninterupted) रूप से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में अपरम्परागत ऊर्जा विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जावेगा। ऐसे नदी—नालें जिनमें बारह माह पानी रहता है एवं जिन पर एनीकट अथवा अन्य जल भण्डारण संरचना का निर्माण किया गया है, के दोनों किनारों में लाईन विस्तार का कार्य करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जावेगी। कृषकों के सिंचाई पम्पों को रियायती दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा।

9.5 **कृषि विस्तार सेवाओं की तकनीकी हस्तातंरण में बदलती भूमिका** : कृषि विस्तार सेवाओं को कृषक केन्द्रित, मांग चलित, सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाया जावेगा। प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली तथा आत्मा का आपस में खाप बैठाकर (युक्तियुक्त) कर ज्यादा किसानोंन्मुखी बनाया जावेगा। सभी पणधारियों (Stakeholders) की सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी। प्रत्येक स्तर के विस्तार अधिकारियों को और अधिक तकनीकी ज्ञान सम्पन्न बनाया जावेगा। निजी क्षेत्र में भी कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना करने हेतु कृषि स्नातकों को प्रोत्साहित किया जावेगा। बहुसंख्य विस्तार सेवाओं (Multi Agencies) को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.5.1 विस्तार प्रणाली का आधार विस्तृत (Broad Based) एवं सकिय बनाया जावेगा। विस्तार प्रणाली को कृषक के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये नये विकेन्द्रित संस्थागत परिवर्तन आरम्भ किये जावेंगे। मांग चालित (Demand Driven) उत्पादन प्रणाली पर आधारित कृषि विस्तार कार्य में कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषक संगठनों एवं पैरा टेक्निशियनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जावेगा। विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान—विस्तार, सेवायें, कृषक बाजार, गठबंधन कड़ी को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाया जावेगा।

9.5.2 विकासखण्ड पर गठित Block Technical Team (BTT) एवं Block Farmers Advisory Committee (BFAC) को कियाशील बनाया जावेगा।

9.5.3 कृषक अभिरूचि समूह/कमोडिटी (जिंस) अभिरूचि समूह का गठन किया जावेगा। इन समूहों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार विस्तार सेवाओं का विकास किया जावेगा।

9.5.4 प्रसार कार्यकर्ताओं एवं कृषक/कृषक समूह के मध्य जीवन्त सम्पर्क के माध्यम से सूचनाओं का निरंतर आदान प्रदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। कृषि प्रसार में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी। **ग्राम पंचायत स्तर पर कृषक संगवारी बनाये जावेंगे।** प्रसार कार्यकर्ताओं, अनुसंधान संस्थाओं/कृषि विज्ञान केन्द्रों के बीच प्रभावी व शक्तिशाली सम्पर्क (Linkage) कड़ी स्थापित की जावेगी। मासिक कार्यशाला को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने की दिशा में कदम उठाये जावेंगे।

9.5.5 विस्तार अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति एवं नियमित भ्रमण सुनिश्चित किया जावेगा। विस्तार अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं भ्रमण को प्रभावी बनाने हेतु अनुश्रवण (परिवीक्षण) एवं मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था की जावेगी।

9.5.6 कार्य विशेष में उपलब्धि प्राप्त कृषकों (Achiever Farmers) को प्रक्षेत्र पाठशाला स्थापित करने हेतु सुविधा दी जावेगी तथा इन पाठशालाओं पर अन्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जावेगा।

9.5.7 प्रदर्शन खण्डों को कृषक खेत पाठशाला से जोड़ा जावेगा। कृषक खेत पाठशाला फसल विशेष पर प्रत्येक सप्ताह में निर्धारित एक दिवस में संचालित की जावेगी। यह पाठशाला फसल अवधि तक पूरे मौसम में निरंतर रहेगी अर्थात् खेत की तैयारी से फसल कटाई तक प्रत्येक सप्ताह में एक दिन संचालित होगी।

9.5.8 लोक विस्तार में लगे मानव संसाधन के क्षमता निर्माण के द्वारा कार्यप्रणाली में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जावेगी।

9.5.9 संसाधन से निर्धन (Resource poor) कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिऐ विस्तार सेवाओं को संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाया जावेगा।

9.5.10 1000 कृषक परिवार हेतु एक विस्तार कार्यकर्ता की सेवाऐं सुनिश्चित की जावेगी।

9.5.11 ग्रामीण कृषि ज्ञान केन्द्र की स्थापना (Rural Agricultural Knowledge Centre) : वर्तमान दौर ज्ञान एवं प्रबंधन का है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ज्ञान एवं प्रबंध की खाई को दूर किया जावेगा। कृषकों के सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कृषि ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जावेगी। इन केन्द्रों को सूचना–संचार–तकनीक (Information Communication Technology) से सुसज्जित किया जावेगा। ये केन्द्र कृषि संबंधी सूचनाओं के प्रसार का कार्य करेंगे। इन केन्द्रों से आधुनिक उन्नत उत्पादन तकनीक कृषकों तक तीव्रतर गति से पहुँचेगी। ग्रामीण स्तर पर भी कृषि से संबंधित देशी ज्ञान (Indigenous Technology Knowledge (ITK)) भरपूर उपलब्ध है। इस ज्ञान का संकलन एवं प्रमाणीकरण कर संस्तुती के साथ कृषकों तक पहुँचाया जावेगा। ITK के आधार आंकड़े (Database) तैयार किये जावेंगे।

9.5.12 मानव संसाधन विकास : मानव संसाधन विकास में संलग्न समस्त संस्थाओं को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाया जावेगा। मानव संसाधन विकास के लिये योग्य विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी। कृषि से संबद्ध समस्त स्तर के अधिकारियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षित किया जावेगा। एक निश्चित अवधि में समस्त श्रेणी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। **समस्त प्रशिक्षण संस्था/केन्द्रों को एक छत की नीचे लाया जावेगा एवं उन्हें स्वायतत्ता प्रदान की जावेगी।**

9.6 **कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा** :– प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय (इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर) एवं एक पशुपालन विश्वविद्यालय (कामधेनू विश्वविद्यालय, अंजोरा,) दुर्ग में स्थित है। 15 कृषि महाविद्यालय, 5 उद्यानिकी महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं पशु चिकित्सा, दुग्ध प्रौद्योगिकी व मत्स्यकी के एक–एक महाविद्यालय, इं.गॉ.कृ.वि. के अधीन आते हैं। इसके

अतिरिक्त रायपुर में मुख्य अनुसंधान केन्द्र लभाण्डी में स्थित है व 4 परिक्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र क्रमशः बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में कार्यरत है। महाविद्यालय से संलग्न तीन उप अनुसंधान केन्द्र एवं एक बीज उत्पादन प्रक्षेत्र भी राज्य में स्थापित है। इन केन्द्रों पर प्रशासकीय नियंत्रण संचालक, अनुसंधान सेवाऐं, इं.गॉ.कृ.वि. रायपुर का है। इन अनुसंधान केन्द्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कोऑरडिनेटेड ट्रायल, IRRI एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से अनुसंधान कार्य किये जाते हैं। इं.गॉ.कृ.वि. द्वारा बायोटेक्नालॉजी क्षेत्र में अनुसंधान हेतु सर्वसुविधायुक्त प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रमुख रूप से इन अनुसंधान केन्द्रों के द्वारा धान, तिलहन, दलहन, उद्यानिकी, वनौषधि फसलों पर अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। अनुसंधान का ज्यादातर कार्य नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है।

- ❖ आधार शोध (Basic Research) के साथ–साथ किसान केन्द्रित अनुसंधान किया जावेगा। सभी श्रेणी के कृषकों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।
- ❖ अनुसंधान कार्य में निवेश को बढ़ावा दिया जावेगा व अधोसरंचना को भी सुदृढ़ किया जावेगा।
- ❖ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अनुसंधान कार्य में सहयोग एवं भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये जावेंगे।
- ❖ प्रदेश की 72% कृषि वर्षा आधारित है, अनुसंधान कार्यों की दिशा को परिवर्तित करते हुए नियंत्रित परिस्थितियों के साथ–साथ नैसर्गिक परिस्थितियों में वर्षा आधारित दशाओं एवं Abiotic Stress स्थितियों पर व्यापक शोध कार्य किया जावेगा।
- ❖ लघु धान्य एवं अन्य सीमांत फसलों पर शोध कार्य किया जावेगा।
- ❖ शोध कार्य में आवश्यकतानुसार कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- ❖ देशी पद्धतियां एवं नवाचार पर जानकारियां को एकत्र कर सप्रमाणता (Validation) का कार्य किया जावेगा।
- ❖ प्रदेश के कृषकों के पास धान के अतिरिक्त अन्य अन्न, दलहन, तिलहन, उद्यानकीय फसलों की किस्में उपलब्ध है। इन किस्मों को एकत्र कर "जीन बैंक" के रूप में संरक्षित रखा जावेगा। इन किस्मों का उपयोग नवीन किस्मों के विकास के लिये किया जावेगा।
- ❖ समन्वित कृषि पद्धति, जैविक खेती, संरक्षित खेती, सुरक्षित खेत, यथार्थ (Precision) खेती को प्रोत्साहन देने हेतु शोध कार्य किया जावेगा। इस कार्य में समस्त श्रेणी के कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जावेगा।
- ❖ मृदा की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखने हेतु विभिन्न विकल्पों पर कार्य किया जावेगा।
- ❖ कृषि क्षेत्र में मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए लघु एवं सीमांत कृषकों की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि यांत्रिकीकरण हेतु कृषि यंत्रों के विकास के लिये शोध कार्य किया जावेगा।
- ❖ कृषि अनुसंधान– कृषि विस्तार एवं कृषक की कड़ी को सुदृढ़ किया जावेगा।
- ❖ सुरक्षित रूप से बायोटेक्नालॉजी का उपयोग कृषि विकास के लिये किया जावेगा।

- ❖ जीन बैंक की स्थापना की जावेगी।
- ❖ शोध कार्य में पशुधन विकास को प्राथमिकता दी जावेगी।
- ❖ डेयरी टेक्नालॉजी को किसानोन्मुखी बनाने हेतु शोध कार्य किया जावेगा।
- ❖ प्रदेश में विकसित चारागाह का अभाव है, चारों की नियमित आपूर्ति हेतु इसकी अत्यंत आवश्यकता है। उजड़े चारागाहों को पुनः विकसित करने हेतु शोध किया जावेगा।
- ❖ खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के शोध कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी।
- ❖ राज्य में एक फसलीय क्षेत्र बहुलता है। धान के पश्चात् लगभग 20.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र रबी में पड़त रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक आर्थिक–सामाजिक समस्याऐं आती है। धान पड़त को दो फसलीय बनाने अथवा धान के पश्चात् अन्य कृषि आधारित अन्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में विकसित करने हेतु शोध किया जावेगा।
- ❖ कृषि क्षेत्र के बाजार की सूचनाओं का एकत्रीकरण कर उस पर शोध की आवश्यकता है। कृषकों को लाभकारी विभिन्न विकल्प सुझाने हेतु कृषि बाजार पर व्यापक शोध कार्य प्रारंभ किये जावेंगे।
- ❖ ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
- ❖ स्कूल (10+2) से पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों में कृषि एवं कृषि आधारित अन्य क्षेत्रों में कौशल तथा उद्यमिता विकास हेतु दो वर्षीय डिप्लोमा का व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार किया जावेगा।
- ❖ कृषि एक व्यवहारिक विज्ञान (Applied science) है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान एवं कृषकों की समस्याओं से साक्षात्कार हेतु ''रावे'' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ''रावे'' कार्यक्रम कों अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जावेगा।
- ❖ स्कूल स्तर पर कृषि विषय को अनिवार्य बनाने हेतु संबंधित विभाग को परामर्श भेजा जावेगा।
- ❖ कृषि शिक्षा में गुणोत्तर सुधार हेतु प्रत्येक स्तर में समीक्षा की जावेगी एवं जरूरी कदम उठाये जावेंगे।
- ❖ इं.गॉ.कृ.वि. से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार करते हुए एकरूपता एवं समानता लाई जावेगी।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों के युवा विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए बहु संख्या में फेलोशिप एवं अन्य कार्यक्रम तैयार किये जावेंगे।
- ❖ कृषि शिक्षा को व्यवहार, कौशल एवं व्यवसाय से जोड़ा जावेगा। विद्यार्थियों का विकास ''रोजगार खोजने वाला के स्थान पर रोजगार देने वाला'' (Job provider rather than job seeker) की मानसिकता के रूप में किया जावेगा।
- ❖ कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रभावी एवं सक्षम बनाया जावेगा।

9.7 कृषि के संतुलित विकास हेतु विशेष पहल

9.7.1 समन्वित खेती पद्धति (Integrated Farming System) को बढ़ावा – समृद्धि की ओर बढ़ते कदम : वर्षा आधारित कृषि में जोखिम कम करने का समन्वित खेती एक सशक्त माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य पूरक धन्धें जैसे– पशुपालन , बकरी पालन, सुअर पालन, उद्यानिकी, फल उत्पादन, प्रक्षेत्र वानिकी, मछली पालन आदि को स्थापित करने की आवश्यकता है। अधिकांश कृषकों द्वारा इन पूरक धन्धों को गौण माना जाता है तथा इन धन्धों को व्यावसायिक रूप से नहीं अपनाया जाता। कृषकों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समन्वित खेती पद्धति हेतु महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जावेगी। इस योजना के कियान्वयन का मूल उद्देश्य कृषकों की आय में वृद्धि करना होगा।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु Short Rotation Forestry को कृषि के साथ बढ़ावा दिया जावेगा। इस हेतु वानिकी प्रजातियों का चयन किया जावेगा। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु राजस्व संहिता एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम की समीक्षा की जाकर उन्हें युक्ति संगत बनाया जावेगा।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में कृषि, उद्यानिकी, फलोत्पादन, मसाले वाली फसलें, अन्य उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्ययोजना तैयार की जावेगी।

समन्वित खेती पद्धति हेतु भिन्न–भिन्न Agro-Ecological-Situation (AES) एवं कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग मॉडल विकसित किये जावेंगे एवं इनमें किसानों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य के भौगोलिक महत्व की फसलें एवं उनकी किस्मों को बढ़ावा दिया जावेगा। जैसे– चॉवल की किस्में– दुबराज, बादशाह भोग, तुलसी, मंजरी एवं अन्य फसलें जैसे कोदों, रागी, आदि।

9.7.2 वर्षा पर निर्भर क्षेत्र मे उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी एवं संरक्षित कृषि को बढ़ावा : राज्य की लगभग 70% कृषि वर्षा पर निर्भर है। इस क्षेत्र की कृषि की विकास दर में निरंतरता नहीं होती। जिन वर्षों में वर्षा का वितरण सामान्य होता है, उन वर्षों में कृषि उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। जिन वर्षों में वर्षा का वितरण एवं मात्रा असामान्य होता है, ऐसे वर्षों में कृषि उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्र की आवश्यकता एवं भूमि की स्थिति एवं प्रकार के अनुसार उन्नत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं संरक्षित खेती को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

इन क्षेत्रों में अन्तरवर्तीय फसल, कतार बोनी, सूखा सहन करने वाली फसलें एव किस्में, मिश्रित फसलें, एले कापिंग, सिल्वी पाश्चर, शुष्क उद्यानिकी, चारागाह विकास जैसे कार्यक्रमों की पहल करने की आवश्यकता है। वर्षा पर निर्भर उच्चहन क्षेत्रों में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार डेड फरों, डिचेज एवं ट्रंजेज का निर्माण करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में रिज–फरों रोपण, रिज–सन्कन बैड खेती, जीरो टिलेज खेती की प्रौद्योगिकी, संरक्षित खेती प्रौद्योगिकी उपयोगी है।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में मल्चिंग की विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कदम उठाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाने की आवश्यकता है, जिससे कि सूखे की स्थिति में फसलों को कम नुकसान हो।

बहुफसलीय क्षेत्र में दलहन एवं तिलहन का महत्वपूर्ण स्थान है धान फसल के साथ–साथ दलहन जैसे– चना, अरहर एवं तिलहनी फसल के अंतर्गत सोयाबीन, अलसी, सरसों जैसी फसलों को प्रोत्साहित किया जाना होगा।

उच्चहन खेतों में मक्का रामतिल, कोदों के क्षेत्र विस्तार हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों के लिये आवश्यकतानुसार विशेष कार्यक्रम तैयार किया जावेगा।

9.7.3 **कृषि में पिछड़े क्षेत्र हेतु विकास कार्यक्रम (Development Programme for Agricultural Backward Area (DPAB)) :– संतुलित विकास की सार्थक पहलः** राज्य में कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है। जहाँ कुछ जिलों की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता से अधिक है वहीं पहाड़ी क्षेत्र की उत्पादकता राज्य की उत्पादकता से भी कम है। इन क्षेत्रों की पहचान अनुसूचित जनजातियों की बहुलता, संसाधन से निर्धन कृषकों (Resource Poor Farmers) की अधिकता, कृषि अधोसंरचना ढॉचा की अल्पता एवं कमजोर आर्थिक दशा के रूप में होती है।

इन क्षेत्रों की पहचान कर कृषि विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु जन सहभागिता से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पैकेज तैयार कर कृषि विकास की गति को तीव्रता प्रदान की जावेगी।

9.7.4 **कृषि उत्पादकता उन्नयन प्रोत्साहन :– दुर्लभता से प्रचुरता की ओर एक और डग** : राज्य की मुख्य फसल धान, सोयाबीन, अरहर, चना, उड़द, मूंग, गेहूँ एवं अलसी की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पाकदता से कम है। वर्तमान में संचालित कृषि योजनाएं कृषि आदान चलित है, जिसके लिये विभिन्न सुविधायें दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ चुनिन्दा कृषकों को ही प्राप्त होता है। अधिकांश कृषक इन योजनाओं से अछूते रह जाते है। उत्पादकता उन्नयन प्रोत्साहन कार्यक्रम का स्वरूप व्यापक रखा जावेगा जिससे की कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त वर्ग के इच्छुक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित हो।

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होने पर बाजार में कृषि जिन्स के भाव में गिरावट आती है जिसके फलस्वरूप कृषक का लाभांश कम हो जाता है। कृषक को उत्पादकता उन्नयन हेतु एक निश्चित वैज्ञानिक आंकलन के आधार पर (पंचायत को इकाई मानकर) प्रोत्साहन राशि की गणना की विधि विकसित की जावेगी व सहभागी कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा।

9.7.5 **गन्ना क्षेत्र विस्तार** : शक्कर कारखाना क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र विस्तार हेतु विशेष नीति तैयार की जावेगी। क्षेत्र विस्तार हेतु कृषकों को प्रत्येक स्तर पर शक्कर कारखाना/राज्य शासन द्वारा समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी। नवीन गन्ना उत्पादन तकनीक का सघन प्रचार–प्रसार कर उसे अपनाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

गन्ना फसल का क्षेत्र बस्तर एवं सरगुजा में बढ़ाया जा सकता है, इससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

9.7.6 **उद्यानिकी विकास** : उद्यानिकी विकास के अंतर्गत फल, साग–सब्जी, मसाला वाली फसलें, पुष्प की खेती को बढ़ावा दिया जावेगा। उद्यानिकी विकास हेतु Protected Cultivation, Precision Farming जैसे तकनीक का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा। उद्यानकी फसलों के ग्रेडिंग, पैकिंग एवं विपणन हेतु कृषकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी। उद्यानिकी फसल के उत्पादन के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जावेगा।

उद्यानिकीय फसल में मसालें एवं फल उत्पादन की छत्तीसगढ़ राज्य में उज्जवल संभावनाएं है। परिस्थितियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मसाले वाली फसलों में अदरक, हल्दी मिर्ची, लहसून एवं प्याज जैसी फसलों के क्षेत्र विस्तार करना, कृषकों के लिये लाभप्रद हो सकता है। जहॉ तक फल उत्पादन का प्रश्न है। राज्य में अमरूद, आम, आंवला, काजू, लीची, केला, पपीता जैसे फसलों के उत्पादन की अच्छी संभावना है। कृषकों के संसाधन, बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुऐ इनका क्षेत्र विस्तार किया जाना उपयुक्त होगा।

सब्जी उत्पादन की भी राज्य में संभावनाएं है। राज्य में बड़ी नदियों के अंतर्गत काफी बड़ा क्षेत्र आता है। इन नदियों में लतावाली, कुकुरबिटेसी की फसलें बड़े पैमानें में ली जानी चाहिए। टमाटर, बैंगन, पत्तीवाली सब्जियों, गोभीवर्गीय सब्जियों की संभावना अच्छी है।

बस्तर संभाग में कंद वाली उद्यानिकीय फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा।

9.7.7 **जैविक कृषि** : जैविक कृषि अनेक ज्वलंत समस्याओं यथा– कृषि क्षेत्र का भू–मण्डलीयकरण, जलवायु परिवर्तन की विभीषिका, बाह्य कृषि आदानों की कीमतों में एक तरफा वृद्धि एवं उनकी समय पर अनुपलब्धता, कृषि उत्पादों का प्रदूषण, कृषि उत्पादों में रसायनों का निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाना आदि से मुक्ति पाने का साधन है। जैविक कृषि कृषक को स्वावलम्बी बनने का अवसर प्रदान करती है।

पिछले बीस वर्षों के कृषि के विकास आंकड़ों को देखें तो हमारा उत्पादन दो गुने से अधिक बढ़ा है लेकिन उर्वरकों का उपयोग सात गुना एवं पेस्टीसाइड्स का उपयोग तीन सौ गुना से अधिक बढ़ा है। पिछले 35–40 वर्षों में रसायनों के उपयोग से पर्यावरण, भू–जल के दूषित होने के साथ–साथ जलीय एवं स्थलीय जीव–जन्तु, पशु –पक्षी जैसे खेती के लाभकारी जीव–जन्तु का सन्तुलन बिगड़ने लगा। खेती में आदानों से भरपूर उपयोग के बाद भी उपज को बनाए रखना एक समस्या हो गई है। अतः विश्व का ध्यान प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने वाली कृषि पद्यति की ओर गया है। इस पद्धति को आर्गेनिक फॉर्मिंग कहते है, आर्गेनिक का संबंध सूक्ष्म जीव–जन्तु से है। आर्गेनिक फार्मिंग को सही अर्थों में जैविक खेती, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि जैसे शब्दों से ज्यादा तरह समझा जा सकता है।

9.7.7.1 **खेती में रसायनों के प्रभाव को रोकना** : हरित क्रांति के बाद खेती में विभिन्न रसायनों वाले आदानों का भरपूर प्रयोग, रसायन युक्त कम्पोस्ट, सीवेज के पानी व अवशिष्ट पदार्थों में भारी तत्व कीटनाशी कृषि रसायनों आदि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा। इससे उपज में अस्थिरता, कीट–व्याधि का बढ़ता प्रकोप, फसलों के उत्पाद में कीटनाशक के अवशेष, प्राकृतिक संतुलन

(फायदेमंद परभक्षी, परजीवी, जीव जन्तु का नष्ट होना) का बिगड़ना, मृदा स्वास्थ्य का खराब (असंतुलन की स्थिति) होना, खेती के आदानों जैसे– उर्वरक, नींदानाशक, कीटनाशक में अत्यधिक खर्च जैसी समस्या सामने आने लगी। इन बातों को रोकना ही जैविक खेती का मूल सिद्धांत है।

जैविक खेती से अर्थ रासायनिक उर्वरक, कीट–व्याधि नाशक के बिना खेती करने से है। यदि रासायनिक आदानों का उपयोग नहीं करना है, तब हमें अच्छी पैदावार के लिए शस्य क्रियाओं पर भी ध्यान देना होगा, जिससे खरपतवार, कीट–व्याधि का प्रकोप कम हो। यदि हम परम्परागत खेती की बात करें तो उपरोक्त सभी बातों की रोकथाम के उपाय उसमें निहित थे लेकिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के प्रति पुरानी किस्में अधिक उत्पादन के लिए असरकारक नहीं थी। इस पद्धति में नई किस्मों में पोषक तत्व, कीट–व्याधि, खरपतवार का नियंत्रण जैविक कृषि के अंतर्गत होता है। इसके लिए गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, बायो फर्टिलाईजर, हरी खाद आदि का उपयोग पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किया जावेगा।

9.7.7.2 **जैविक खेती यानि आत्मनिर्भर खेती** : जैविक खेती की परिकल्पना में मुख्यतः उन बातों का समावेश है, जिसमें फार्मिंग सिस्टम खेती कहा जाता है जिसमें खेती के सभी आदान जैसे– खाद, पानी कीटनाशक आदि खेत में ही होता है। जिस हम on-farm inputs प्रबंधन भी कहते हैं। बाहरी आदनों पर कम से कम खर्च किया जाता है और खेती के सभी साधनों को एवं चक्र के रूप में उपयोग किया जाता है। किसान खेती के लिए बाहरी साधनों की अपेक्षा अपने साधनों पर अधिक से अधिक निर्भर होता है।

प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों के कई ग्राम ऐसे हैं जिनमें बाह्य कृषि आदानों के उपयोग का स्तर अत्यंत निम्न है। **जैविक कृषि को व्यवहारिक बनाने हेतु संभावित क्षेत्रों की पहचान की जावेगी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर जैविक कृषि के प्रसार को लक्षित किया जावेगा।**

छ.ग. राज्य के कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैविक कृषि एवं वन उत्पाद हेतु स्वतंत्र मानकों को निर्धारण करने हेतु पहल की जावेगी।

जैविक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सहभागी गारंटी पद्धति (Participatory Gauranti System) को बढ़ावा दिया जावेगा। जैविक खेती पर सतत् निगरानी रखने एवं कृषकों के मार्गदर्शन करने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जावेगी। इस हेतु सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा दिया जावेगा। जैविक खेती हेतु ऋण मुहैया कराने के लिये अलग ऋण सीमा निर्धारित की जावेगी।

जैविक उत्पाद को प्रोत्साहित करने एवं उनके विपणन की यथोचित व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

प्रदेश की कई फसलों जैसे **कोदो–कुटकी, रागी, रामतिल, कुल्थी, विभिन्न प्रकार के कंद, वनोपज, दलहन एवं तिलहन में बाह्य एवं निषिद्ध रासायनिक आदानों का उपयोग कृषकों द्वारा नहीं किया जाता। इन उत्पादों की उत्पादन से विपणन तक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार की जावेगी।** जैविक कृषि की विचारधारा से सहमत होने वाले कृषकों का समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जावेगा।

9.8 **कृषि सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल :**

9.8.1 **जोखिम प्रबंधन** : राज्य की 72% कृषि वर्षा पर आधारित है। कृषि में हानि व लाभ का निर्धारण मौसम एवं वर्षा की मात्रा एवं वितरण पर निर्भर है। राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा एवं वर्षा आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। इन योजनाओं के आंकलन की इकाई तहसील है। बीमा की इकाई को ग्राम पंचायत स्तर तक निर्धारित करने की आव यकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत स्तर तक लायी जावेगी। क्षति आंकलन की विभिन्न विधियों एवं अभिकर्ताओं के विकल्प पर विचार किया जावेगा। रिमोट सेंसिंग प्रणाली के उपयोग का फसल क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु परीक्षण किया जावेगा। कृषि बीमा के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जावेगा। एकीकृत फसल सह पशुधन स्वास्थ्य बीमा सुविधा कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार कर की जावेगी। इसी प्रकार बीमा सुविधा हेतु अलग–अलग अन्य मॉडल तैयार कर कृषि क्षेत्र के जोखिम को कम करने हेतु विचार किया जावेगा।

राज्य के उत्तरी भाग में हाथियों के उत्पात से कृषकों को बहुत अधिक क्षति होती है। हाथियों के उत्पात से होने वाली क्षति के जोखिम को कम करने एवं हाथियों के रहवास क्षेत्रों का विकास करने हेतु विचार किया जावेगा एवं इसके लिये सुस्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जावेगी।

9.8.1.1 **जोखिम प्रबंधन निधि (Risk Management Fund)** : विपरीत मौसम के प्रभाव को कम करने, लघु सीमांत कृषकों को क्षति से राहत पहुँचाने एवं नवीन जोखिम उठाने में सक्षम बनाने हेतु कृषकों का सशक्तिकरण आवश्यक है। कृषकों को जोखिम अवरोधक शक्ति (Risk Proofing) प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन निधि की स्थापना की जावेगी। निधि के उपयोग के विस्तृत नियम तैयार किये जावेंगे।

9.8.2 **कृषि को प्रोत्साहन हेतु विशेष पहल** : सरकार कृषि क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र के भांति अधिकतम लाभ हेतु ऋण, आवश्यक आदानों की सहज उपलब्धता, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिये अधोसरंचना की सुविधाएं, प्रभावी वितरण प्रणाली का विकास एवं कृषि उत्पादों के बंधन मुक्त आवागमन को प्रोत्साहित करेगी। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता के अनुसार आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाएं जाने से विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्यों में अस्थिरता भी बढ़ेगी जिसका प्रतिकूल प्रभाव निर्यात पर पड़ेगा। इस हेतु राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित रखने हेतु सामग्रीवार रणनीतियां तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार से पहल करेगी। कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जावेगा। मण्डी क्षेत्र को उदार बनाया जाएगा और कृषि आय की वृद्धि में

व्यवधान डालने वाले सभी नियंत्रणों और शर्तों की समीक्षा की जावेगी और उन्हें समाप्त किया जावेगा। ऐसी सभी प्रणालियों तथा नीतियों को समाप्त किया जावेगा जो किसानों को उनके प्रयासों, निवेश तथा जोखिम के अनुपात में उन्हें मूल्य प्राप्त करने में बाधक है।

कृषि, उद्यानिकी फसलों एवं कृषि आदानों के कर ढॉचों की समीक्षा की जावेगी एवं उसे युक्तिसंगत बनाया जावेगा।

9.8.3 **कृषक संगठन (Farmers Organization)** : विभिन्न अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि कृषि उन्नत तकंनीकी को समूह में अपनाना सहज होता है। अतः समान अभिरूचि वाले कृषकों का समूह तैयार करने हेतु कृषकों को कियाशील किया जावेगा। इन समूहों का विकासखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर संघ की स्थापना की जावेगी। इन समूहों की पहुँच खेत से उपभोक्ता बाजार तक सीधी स्थापित की जावेगी। अलग-अलग जिन्स के अलग-अलग समूह होंगे। समूह का आकार मध्यम होगा। समूह, समूह शक्ति (Group Dynamics) के आधार पर स्वस्फूर संचालित होगा। समूह गठन से कृषकों को विपणन, प्रसंस्करण, कृषि आदान प्रबंधन आदि की सुविधा प्राप्त होगी। समूह को कृषि की आवश्यक सेवाएं भी किफायती दरों पर प्राप्त होगी। इस प्रकार के संगठनों का कृषि आधारित बाजार पर दबाव समूह (Pressure Group) के रूप में स्थान स्थापित होगा।

9.8.4 **मूल्य स्थिरीकरण निधि** : किसान हमेशा अपने उत्पाद के मूल्य के लिये परेशान रहा है। उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कृषक को दबाव में अपने उत्पाद को विक्रय (Distress Sale) करना पड़ता है। बहुधा इस समस्या से सीमान्त एवं लघु कृषक ज्यादा ग्रसित होते हैं। कृषकों को (लघु सीमान्त कृषकों) उनके उत्पाद का आकर्षक एवं प्रतिदान मूल्य (Remunerative Price) दिलाने हेतु **मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना की जावेगी।** इस हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जावेगी। मूल्य स्थिरीकरण निधि हेतु मण्डी बोर्ड की कुल आय की 20% राशि प्रतिवर्ष प्राप्त की जावेगी। इसका उपयोग Distress Sale को रोकने हेतु किया जावेगा। **इस निधि का नाम "मुख्य मंत्री कृषि उपज मूल्य स्थिरीकरण निधि" रखा जावेगा।** निधि के उपयोग के लिए विस्तृत नियम बनाये जावेंगे।

9.8.5 **कटायोत्तर प्रबंधन (Post Harvest Management)** : फसल कटाई के पश्चात् शीघ्र खराब न होने वाले कृषि उत्पाद में 5% से 10% एवं शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद में लगभग 30% नुकसान होता है। इस प्रकार के नुकसान को पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन से कम किया जा सकता है। अनाज के एक दाने की सुरक्षा, अनाज के एक दाने के उत्पादन के समतुल्य है। अतः कृषि उत्पाद के उठाई-धराई (Handling), प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन के साथ-साथ पैकेजिंग और परिवहन पर बल दिया जावेगा। खेत से बाजार की श्रृंखला तैयार की जावेगी जिससे कि कृषि उत्पाद कम से कम नष्ट हो। ऐसी ईकाईयां उत्पादन स्थल के निकट ही विकसित किये जावेगी। पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबंधन में भण्डारण एवं शीत श्रृंखला (Cold Chain) का अपना स्थान है। राज्य में आधुनिक भण्डारण व्यवस्था एवं शीत श्रृंखला (Cold Chain) द्वारा खेत से बाजार को जोड़ने हेतु रणनीति तैयार की जावेगी।

9.8.6 संविदा कृषि (Contract Farming) : कृषि में निवेश को आकर्षित करने का संविदा कृषि एक उत्तम विकल्प है। बीज उत्पादन के क्षेत्र में अघोषित रूप से संविदा कृषि का मॉडल राज्य में स्थापित है। इसका दूसरा स्वरूप सहकारिता क्षेत्र में "सहकारी दुग्ध संघ" द्वारा दुध उपार्जन एवं वितरण हेतु अपनाया जा रहा है। संविदा खेती से कृषक को उसके उत्पाद का परस्पर पूर्व में निर्धारित विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, वहीं प्रसंस्करण इकाई को आवश्यकता अनुरूप निरंतर निर्धारित गुणों वाला कृषि उत्पाद प्राप्त होगा। संविदा कृषि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद ब्रॉड स्थापित करने में मददगार होगा। अतः संविदा कृषि को मण्डी अधिनियम में संशोधन कर विधि मान्य बनाया गया है। संविदा कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

9.8.7 विशेष वर्ग के कृषकः राज्य में संसाधन से निर्धन किसानों की बहुलता (Predominance of Resource Poor Farmers) है। राज्य में प्रति कृषक की औसत जोत को आकार 1.51 हेक्टेयर है। इन कृषकों के पास कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अपर्याप्त संसाधन है। राज्य में एक फसलीय क्षेत्र अधिक है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में खरीफ मौसम के पश्चात् (कृषि क्षेत्र में) रोजगार की पर्याप्त संभावना नहीं होती। ग्राम स्तर पर कृषि क्षेत्र में बहुफसलीय/दो फसलीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ–साथ कृषि आधारित अन्य उद्योग धंधें जैसे–पशुपालन, मछलीपालन, लाख उत्पादन, रेशम उत्पादन आदि के विकास से अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जा सकता है। अतः संसाधन से निर्धन किसानों एवं कृषि मजदूरों को सशक्त बनाने व कृषि आधारित अन्य उद्योग धंधें हेतु कृषि विकास योजनाऐं तैयार की जावेगी। पट्टाधारी कृषकों के लिये विस्तृत योजना तैयार कर सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

9.8.8 कृषि क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु सम्मान : कृषि क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले कृषक, पशुपालन, मत्स्यपालक, कृषि विशेषज्ञ आदि की पहचान की जावेगी। ऐसे कृषक एवं संलग्न व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की जावेगी एवं उन्हें सम्मानित किया जावेगा।

10. नीति के प्रमुख विषयों का वर्गीकरण :

क्र.	दीर्घकालीन विषय	अल्पकालीन विषय	समन्वय के विषय
1	अम्लीय एवं क्षारीय भूमि का का उपचार एवं बिगड़ी भूमि (Degraded Land) का विकास।	कृषकों में जल के न्यायोचित उपयोग के प्रति जन चेतना लाने।	अधिनियमों की समीक्षा।
2	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।	विद्युत लाईन विस्तार।	भू–चकबंदी।
3	सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई क्षमता के अंतर का कम करना।	स्प्रिंकलर एवं ड्रीप की स्थापना।	चारागाह विकास।
4	जीन सेंक्चुअरी एवं जैव पार्क की स्थापना।	Seed rolling plan.	भूमि एवं जल संरक्षण (नरेगा)
5	भू–चकबंदी।	संकर बीज उत्पादन।	विद्युत लाईन विस्तार।

6	चारागाह विकास।	रोपणी अधिनियम।	कृषि ऋण।
7	अधिनियमों की समीक्षा एवं संशोधन।	बीज उत्पादन में पंचायत की भागीदारी।	कृषि आदान व्यवस्था।
8	भूमि एवं जल संरक्षण।	आदान व्यवस्था, गुण नियंत्रण एवं अनुदान की सरलीकृत प्रकिया।	कृषि निवेश।
9	कृषि निवेश	बायो लैब एवं टिश्यूकल्चर लैब का कियाशील बनाया जाना।	खाद्य प्रसंस्करण।
10	दीर्घकालीन अनुसंधान।	उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु ग्रामीण लोहारों का प्रशिक्षण	कटायोत्तर प्रबंधन।
11	खाद्य प्रसंस्करण।	कृषि विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।	सिंचाई।
12	गन्ना क्षेत्र विस्तार।	समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं को एक छत की नीचे लाना एवं स्वायत्तता प्रदान करना।	जीन सेंक्चुअरी एवं जैव पार्क की स्थापना।
13	फल एवं मसाले वाली फसलों का क्षेत्र विस्तार।	अल्पकालीन अनुसंधान।	
14	जैविक खेती।	समन्वित खेती पद्धति।	
15	मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना।	वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा।	
16	कटायोत्तर प्रबंधन।	कृषि में पिछड़े क्षेत्र हेतु विकास कार्यकम।	
17	संविदा कृषि।	जोखिम प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन निधि की स्थापना।	
18	कृषक संगठन तैयार करना।	कृषि उत्पादकता उन्नयन प्रोत्साहन।	
19	0	उद्यानिकीय विकास।	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.